274

राजकीय महाविद्यालय नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश के छात्र निधि के लेखाओं का लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण प्रतिवेदन ।

अवधि 4/87 से 3/94

भाग-प्रथम

1. गत लेखा परीक्षा प्रतिवेदन अवधि 4/76 से 3/83:-

गत लेखा परीक्षा प्रतिवेदन अवधि 4/76 से 3/83 पर की गई कार्रवाई की जांच उपरोक्त विभिन्न पैरों की नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार से है । अनिर्णीत पैरों के शीघ्र निपटारे हेतु आवश्यक कार्यवाही करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए ।

1.	पैरा संख्या 3	अनिर्णीत ।
2.	पैरा संख्या 4(ए तथा बी)	अनिर्णीत ।
3.	पैरा 4(सी) 1व2	अनिर्णीत ।
4.	पैरा 4(डी)	अनिर्णीत ।
5.	पैरा 4(ई) व (एफ)	अनिर्णीत ।
6.	पैरा 4(जी)	अनिर्णीत ।
7.	पैरा 4 ~~(आई)~~ (एच)	निर्णीत ।
8.	पैरा (4 (आई)	अनिर्णीत ।
9.	पैरा 4(जे)	अनिर्णीत ।
10.	पैरा 4(के) 1,2,3,व 4	अनिर्णीत ।
11.	पैरा 4 (एल)	अनिर्णीत ।
12.	पैरा 4 (एम)	अनिर्णीत ।
13.	पैरा 4(एन)	अनिर्णीत ।
14.	पैरा 4(ओ)	अनिर्णीत ।
15.	पैरा 4(पी)	अनिर्णीत ।
16.	पैरा 4 (क्यु)	अनिर्णीत ।
17.	पैरा 4(आर)	अनिर्णीत ।
18.	पैरा 4(एस)	अनिर्णीत ।
19.	पैरा 4(टी)	अनिर्णीत ।
20.	पैरा 4(यू) 1.2.3व 4	अनिर्णीत ।
21.	पैरा 4(वी) 1 से 3	अनिर्णीत ।
22.	पैरा 4(डबल्यु)	अनिर्णीत ।
23.	पैरा 4(एक्स)	अनिर्णीत ।
24.	पैरा 4(वाई)	अनिर्णीत ।
25.	पैरा 4(जेड) 1 से 4	अनिर्णीत ।
26.	पैरा 4(ए ए)	अनिर्णीत ।
27.	पैरा 4(बी बी)	अनिर्णीत ।
28.	पैरा 4(सी सी)	अनिर्णीत ।

लगातार पृष्ठ 2 पर........

प्रेष

29.	पैरा 4 (डी डी)	अनिर्णीत ।
30.	पैरा 4(ईई)	अनिर्णीत ।
31.	पैरा 4(एफ एफ)	अनिर्णीत ।
32.	पैरा 4(जी जी)	अनिर्णीत ।
33.	पैरा 5(ए)	अनिर्णीत ।
34.	पैरा 5(बी)	अनिर्णीत ।
35.	पैरा 5(सी)	अनिर्णीत ।
36.	पैरा 6(ए)	अनिर्णीत ।
37.	पैरा 6(बी)	अनिर्णीत ।
38.	पैरा 7(ए)	निर्णीत ।
39.	पैरा 7(बी)	अनिर्णीत ।
40.	पैरा 7(सी)	अनिर्णीत ।
41.	पैरा 7(डी)	अनिर्णीत ।
42.	पैरा 8(ए)	निर्णीत ।
43.	पैरा 8(बी)	निर्णीत ।
44.	पैरा 8(सी)	निर्णीत ।
45.	पैरा 9	अनिर्णीत ।
46.	पैरा 11	अनिर्णीत ।
47.	पैरा 12(ए)	अनिर्णीत ।
48.	पैरा 12(बी)	अनिर्णीत ।
49.	पैरा 12(सी)	अनिर्णीत ।
50.	पैरा 12(डी)	अनिर्णीत ।
51.	पैरा 12(ई)	अनिर्णीत ।
52.	पैरा 13(ए)	अनिर्णीत ।
53.	पैरा 13(बी)	अनिर्णीत ।
54.	पैरा 13(सी)	अनिर्णीत ।
55.	पैरा 13(डी)	अनिर्णीत ।

2. गत लेखा परीक्षा प्रतिवेदन अवधि 4/83 से 3/87:-

1.	पैरा 4 (ए,बी) तथा सी	अनिर्णीत ।
2.	पैरा 4 (डी,ई) व (एफ)	निर्णीत ।
3.	पैरा 5 (ए)	निर्णीत ।
4.	पैरा 5 (बी)	अनिर्णीत ।
5.	पैरा 6(1 से 4)	अनिर्णीत ।
6.	पैरा 6(5)	निर्णीत ।
7.	पैरा 6 (6 व 7)	अनिर्णीत ।
8.	पैरा 6 (8)	अनिर्णीत ।
9.	पैरा 6 (9 से 12)	अनिर्णीत ।
10.	पैरा 7	अनिर्णीत ।
11.	पैरा 8(1)	अनिर्णीत ।
12.	पैरा 8(2) ए से डी	अनिर्णीत ।

लगातार पृष्ठ 3 पर

276

13.	पैरा 8(3) ए से बी	अनिर्णीत ।
14.	पैरा 8(4) ए से ई	अनिर्णीत ।
15.	पैरा 9 (ए,बी,सी,डी,ई व एफ)	अनिर्णीत ।
16.	पैरा 9 (जी)	अनिर्णीत ।
17.	पैरा 9 (एच)	अनिर्णीत ।
18.	पैरा 9 (आई)	अनिर्णीत ।
19.	पैरा 9 (जे)	अनिर्णीत ।
20.	पैरा 9 (के)	अनिर्णीत ।
21.	पैरा 9(एल)	अनिर्णीत ।
22.	पैरा 9 (एम)	अनिर्णीत ।
23.	पैरा 9 (एन)	अनिर्णीत ।
24.	पैरा 9 (ओ)	अनिर्णीत ।
25.	पैरा 9 (पी)	अनिर्णीत ।
26.	पैरा 9 (क्यु)	अनिर्णीत ।
27.	पैरा 9 (आर)	अनिर्णीत ।
28.	पैरा 9 (एस)	अनिर्णीत ।
29.	पैरा 9 (टी)	अनिर्णीत ।
30.	पैरा 9 (यु) 1 से 4	अनिर्णीत ।
31.	पैरा 9 (वी)	अनिर्णीत ।
32.	पैरा 9 (डब्ल्यु)	अनिर्णीत ।
33.	पैरा 9 (एक्स)	अनिर्णीत ।
34.	पैरा 9 (वाई)	अनिर्णीत ।
35.	पैरा 9 (जेड) 1 व 2	अनिर्णीत ।
36.	पैरा 9 (एए)	अनिर्णीत ।
37.	पैरा 9 (बीबी)	अनिर्णीत ।
38.	पैरा 9 (सी सी)	अनिर्णीत ।
39.	पैरा 9 (डी डी)	अनिर्णीत ।
40.	पैरा 9 (ई ई)	अनिर्णीत ।
41.	पैरा 9 (एफ एफ)	अनिर्णीत ।
42.	पैरा 9 (जी जी)	अनिर्णीत ।
43.	पैरा 9 (एच एच)	अनिर्णीत ।
44.	पैरा 9 (आई आई)	अनिर्णीत ।
45.	पैरा 9 (जे जे)	अनिर्णीत ।
46.	पैरा 9 (के के)	अनिर्णीत ।
47.	पैरा 9 (एलएल)	अनिर्णीत ।
48.	पैरा 9 (एम एम)	अनिर्णीत ।
49.	पैरा 9 (एन एन)	अनिर्णीत ।
50.	पैरा 9 (ओ ओ)	अनिर्णीत ।
51.	पैरा 9 (पी पी)	अनिर्णीत ।
52.	पैरा 9 (क्यु क्यु)	अनिर्णीत ।
53.	पैरा 9 (आर आर)	निर्णीत ।
54.	पैरा 9 (एस एस)	

लगातार पृष्ठ 4 पर.....

55. पैरा 9 (टीटी) अनिर्णीत ।
56. पैरा 9 (यु यु) अनिर्णीत ।
57. पैरा 9 (वी वी) अनिर्णीत ।
58. पैरा 9 (डब्लु डब्लु) अनिर्णीत ।
59. पैरा 9 (एक्स एक्स) अनिर्णीत ।
60. पैरा 9 (वाई वाई) अनिर्णीत ।
61. पैरा 9 (जेड जेड) अनिर्णीत ।
62. पैरा 9 (ए ए ए) अनिर्णीत ।
63. पैरा 9 (बी बी बी) अनिर्णीत ।
64. पैरा 9 (सी सी सी) अनिर्णीत ।
65. पैरा 9 (डी डी डी) अनिर्णीत ।
66. पैरा 9 (ई ई ई)
67. पैरा 9 (एफ एफ एफ) निर्णीत ।
68. पैरा 9 (जी जी जी) अनिर्णीत ।
69. पैरा 9 (एच एच एच) अनिर्णीत ।
70. पैरा 10 (ए) अनिर्णीत ।
71. पैरा 10 (बी) अनिर्णीत ।
72. पैरा 10 (सी) अनिर्णीत ।
73. पैरा 10 (डी) अनिर्णीत ।
74. पैरा 10 (ई) अनिर्णीत ।
75. पैरा 10 (एफ) अनिर्णीत ।
76. पैरा 10 (जी) अनिर्णीत ।
77. पैरा 10 (एच) अनिर्णीत ।
78. पैरा 11 (ए) अनिर्णीत ।
79. पैरा 11 (बी) अनिर्णीत ।
80. पैरा 11 (सी) अनिर्णीत ।
81. पैरा 12 अनिर्णीत ।
82. पैरा 13 (1) अनिर्णीत ।
83. पैरा 14 (ए) 1 से 4 अनिर्णीत ।
84. पैरा 14 (बी) अनिर्णीत ।
85. पैरा 14 (सी) अनिर्णीत ।
86. पैरा 14 (डी) अनिर्णीत ।
87. पैरा 14 (ई) अनिर्णीत ।
88. पैरा 14 (एफ) अनिर्णीत ।
89. पैरा 14 (जी) अनिर्णीत ।
90. पैरा 15 (ए) अनिर्णीत ।
91. पैरा 15 (बी 1 से 4 अनिर्णीत ।
92. पैरा 15 (सी, डी, ई तथा एफ) अनिर्णीत ।
93. पैरा 15 (जी) अनिर्णीत ।
94. पैरा 15 (एच) अनिर्णीत ।
95. पैरा 16. अनिर्णीत ।
96. पैरा 17 अनिर्णीत ।

लगातार पृष्ठ 5 पर.....

भाग -II

3\. वर्तमान लेखा परीक्षा:- राजकीय महा विद्यालय नाहन की छात्र निधियों की के लेखाओं की लेखा परीक्षा अवधि 4/87 से 3/94 तक, जिसके परिणाम आगामी अनुच्छेदों में दिये गये है, श्री अमर सिंह चौधरी, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 02.4.94 से 02.7.94 के दौरान सम्पन्न की गई। मास 7/87, 3/88 5/88, 12/88, 6/89, 10/89, 7/90, 11/90, 8/91, 3/92, 6/92, 11/92, 7/93 तथा 3/94 के लेखाओं की विस्तार से पड़ताल की गई। आगामी अनुच्छेदों में वर्णित अभिलेख के सिवाए पूर्ण अभिलेख लेखा परीक्षा में आवश्यक जांच हेतु प्रस्तुत किये गये।

4\. लेखा परीक्षा शुल्क:- राजकीय महा विद्यालय के अवधि 4/87 से 3/94 के लेखाओं के लेखा परीक्षा हेतु शुल्क निम्न विवरणानुसार मु0 4375/=रुपये बनता है अनुभाग अधिकारी द्वारा अधियाचना संख्या एस0 एन0{एल0ए0डी0}338, दिनांक 26.7.94 द्वारा प्रधानाचार्य से उक्त राशि को सरकारी कोष में लेखा शीर्ष "0070-अन्य प्रशासनिक सेवाएँ -60-अन्य सेवाएँ -110-सरकारी लेखा परीक्षा के लिए शुल्क हिमाचल प्रदेश" के अन्तर्गत जमा करके इस कार्यालय को यथासमय स सूचित करने का अनुरोध किया गया।

क्रम सं0	निधियों का नाम	राशि
1.	मिश्रित निधि	700.00
2.	भवन निधि	245.00
3.	स्वास्थ्य निधि	245.00
4.	परीक्षा निधि	245.00
5.	मैगजीन निधि	245.00
6.	पहचान पत्र निधि	245.00
7.	फिजिक्स निधि	245.00
8.	कैमिस्टरी निधि	245.00
9.	बायोलौजी निधि	245.00
10.	जुलौजी निधि	245.00
11.	जोग्राफी निधि	245.00
12.	जौलोजी निधि	245.00
13.	जुर्माना निधि	245.00
14.	एन.सी.सी. निधि	245.00
15.	होस्टल निधि	245.00
16.	रैडक्रास निधि	245.00
	कुल जोड़	4,375.00

लगातार पृष्ठ 6 पर......

आवश्यक था। संस्था द्वारा इस बारे कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। इस बारे आवश्यक कार्यवाही शीघ्र करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण पर दिखाई जाए।

लगातार पृष्ठ 7 पर......

उपरोक्त लेखा परीक्षा शुल्क की 4375/-रुपये की राशि प्रधानाचार्य द्वारा दिनांक 28.7.94 को सरकारी खजाना नाहन में चालान संख्या 38 द्वारा जमा करवा दी गई है तथा मूल चालान का लेखा परीक्षा के समय पर ही सत्यापन कर लिया गया ।

5. विभिन्न निधियों के लेखाओं के रख-रखाव बारे में:-

विभिन्न निधियों के लेखाओं का रख-रखाव शिक्षा संहिता के नियम 136(सी) के अनुसार नहीं किया गया था तथा सभी निधियों की केवल एक ही कैश बुक व बचत बैंक में एक ही सांझा खाता खोला गया था । केवल भवन निधि तथा लाईब्रेरी सिक्योरिटी के लेखाओं का रख रखाव ही अलग-2 किया गया था ।इस विभाग के गत लेखा परीक्षा प्रतिवेदन अवधि 4/83 से 3/87 के पैरा ग्राफ 4(ए) द्वारा भी ऐसी आपत्ति उठाई गई थी । लेकिन इस ओर संस्था द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया तथा निधियों का रख रखाव फिर से एक ही कैश बुक व एक ही बचत बैंक खाते में रखा गया । यह एक गम्भीर अनियमितता है । निधियों की अलग-2 कैश बुक तथा अलग-2 बचत बैंक खाते का खोलने की अनुपस्थिति में जून, 1991 तक यह जांच नहीं की जा सकी कि किस-2 निधि से कितना -2 धन प्राप्त किया गया । चूंकि यह सारे खाते जुलाई,91 से अलग किये गये । लेकिन जुलाई, 91 से जब इन खातों को अलग-2 किया गया तो पिछली शेष धन राशि को सम्बन्धित निधियों में नहीं लिया गया ।इस कमी को अब पूरा किया जाए तथा पूर्ण राशि जिस-2 निधि से सम्बन्धित थी,नए खातों में जमा करवाई जाए । जुलाई, 91 से पहले अलग -2 खाते ना होने की दशा में यह जांच भी नहीं की जा सकी कि किस-2 निधि विशेष से कितना-2 धन व्यय किया गया था । यह भी सन्देह बना रहता है कि किसी भी निधि की आय कम हो व्यय अधिक किया गया हो उसकी जांच भी उपरोक्त त्रुटि के कारण नहीं की जा सकी । इसके अतिरिक्त मिश्रित निधि, भवन निधि तथा लाईब्रेरी सिक्योरटी की कैश बुक ~~अवधि~~ अवधि 4/87 से 6/91 तक की लेखा परीक्षा करते समय देखा गया कि कैश बुक को मास के अन्त में बन्द करते समय यह नहीं दिखाया गया था कि कैश बुक में अन्तिम शेष कितना था व बैंक में शेष धन राशि कितनी थी । जबकि हिमाचल प्रदेश शिक्षा संहिता के नियम 136 (सी)(1) के अनुसार कैश बुक अनुसार अन्तिम शेष का बचत बैंक से मिलान करना आवश्यक था । संस्था द्वारा इस बारे कोई कार्यवाही नहीं की गई थी । इस बारे आवश्यक कार्यवाही शीघ्र करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण पर दिखाई जाए।

लगातार पृष्ठ 7 पर......

यह मामला उच्चाधिकारियों

286

6. क) भवन निधि :-

दिनांक 26.6.87 को रसीद संख्या 21221 से 300 द्वारा भवन निधि के रूप में 2844/=रुपये की राशि छात्रों से वसूल की गई। इस राशि को भवन निधि की कैश बुक व पास बुक में जमा नहीं कराया गया। अपितु मु0 2844/=रू0 की राशि को मिश्रित निधि की कैश बुक में आय की तरफ दिखाया गया था लेकिन इस राशि को बचत बैंक में जमा करवाने के उपलक्ष में मिश्रित निधि की पास बुक में जमा का अन्दराज नहीं दिखाया गया उक्त 2844/=रुपये की राशि को दोषी व्यक्ति से वसूल करके तुरन्त भवन निधि की कैश बुक व पास बुक में जमा करवाया जाए।

ख) दिनांक 6.7.1987 को रसीद संख्या 212672-729 द्वारा भवन निधि के रूप में 1620/=रू0 की राशि को छात्रों से वसूल करके दिनांक 27.7.87 को भवन निधि की पासबुक में जमा करवाया गया था। लेकिन इस राशि को भवन निधि की कैश बुक में आय की तरफ दर्ज नहीं किया गया था। इस राशि को अब भवन निधि की कैश बुक में आय की तरफ दर्ज करके अनुपालना की पुष्टि अगामी अंकेक्षण पर करवाई जाए।

ग) दिनांक 15.2.93 तथा 7.4.93 को मु0 24027/=रुपये की राशि महाविद्यालय भवन में चार दिवारी के निर्माण व टूट्टियों की मुरम्मत का कार्य कराने हेतु "गांव भी अपना काम भी अपना" योजना के अन्तर्गत सचिव नगर पालिका, नाहन के कार्यालय में जमा करवाई गई थी। नियमानुसार भवन निधि में से यह राशि इस योजना के लिए व्यय नहीं की जा सकती थी। इस बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए। इसके अतिरिक्त उक्त राशि में से केवल 4721/=रुपये की राशि ही नगर पालिका द्वारा व्यय की गई थी। शेष 19306/=रू0 की राशि नगर पालिका द्वारा दिनांक 19.6.93 तथा 12.8.93 को सान्ध्यकालीन की भवन निधि में जमा करवा दी गई थी। परन्तु क्योंकि उक्त राशि प्रातकालीन महाविद्यालय की भवन निधि में से अदा की गई थी अतः इस राशि को सान्ध्य कालिन महाविद्यालय की भवन निधि में से निकलवा करके प्रातःकालिन महाविद्यालय की भवन निधि में जमा करवाई जाए।

घ) वा0 सं0 2/8 दिनांक 22.8.92 मु0 8556/=रू0
वा0 सं0 01/2 दिनांक 15.2.93 मु0 5355/=रू0

कालिज भवन के विज्ञान ब्लाक में पानी का Augmentation करने पर ... 5355/=रुपये तथा मु0 8556/=रुपये की राशि सहायक अभियन्ता, लोक ...

लगातार पृष्ठ 8 पर...

विभाग (आई पी एच) विंग नाहन से 310 नम्बर 15 एम एम जी0 आई0 पाईप के क्रय करने के अदा किये गये । इस भुगतान की जांच पर निम्नलिखित आपत्तियां पाई गई है :-

1. आई0 पी0एच0 के स्टोर से कालिज परिसर तक उक्त पाईपों की ढुलाई हेतु रु0 510/=रु0 की राशि मजदूरी के रूप में अदा की गई । उपरोक्त दी गई मजदूरी ज्यादा प्रतीत होती है । अगर यह ढुलाई का कार्य ट्रक द्वारा किया गया होता तो मुश्किल से 200/=रु0 की राशि व्यय होने की सम्भावना थी । इस प्रकार 310/=रु0 की राशि अधिक भुगतान की गई प्रतीत होती है । इस बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अधिक अदा की गई 310/=रुपये की राशि को दोषी व्यक्ति से वसूल करके जमा कराया जाए ।

2. पहले भवन निधि की कमेटी का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था। इस अनियमितता का शीघ्र निपटारा करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण पर दिखाई जाए ।

3. इसके अतिरिक्त इस कार्य को करते समय भवन निधि के नियम 8(2) में निर्दिष्ट दिशा निर्देशों का पालन भी नहीं किया गया तथा न ही माप पुस्तिका में किए गए कार्य को समय-2 पर दर्ज किया गया उक्त सारी त्रुटियों को अब पूर्ण किया जाए व अनुपालना की जांच अगले अंकेक्षण पर करवाई जाए

ड.) वा0 सं0 01/7 दिनांक 14.7.93 मु0 17742/=रुपये

शिक्षा निदेशक, हिमाचल प्रदेश, शिमला को जिला कामन पूल निधि में में जमा करने हेतु वर्ष 90-91,91-92 तथा 92-93 के अंशदान के रूप में प्रातः-कालिन व सान्ध्यकालिन महाविद्यालय के भवन निधि में से मु0 17742/=रु0 की राशि अदा की गई थी । लेकिन शिक्षा निदेशक, शिमला से प्राप्त की गई उक्त राशि की प्राप्ति रसीद लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई । अपेक्षित भुगतान प्राप्ति रसीद शीघ्र प्राप्त करके अगले अंकेक्षण पर दिखाई जाए ।

च) वा0 सं0 01/9 दि0 2.9.93 मु0 10875/=रुपये
वा0 सं0 01/10 दि0 26.10.93 मु0 64960/=रुपये

अधिशाषी अभियन्ता (बी0एण्ड0आर0) हि0 प्र0 लोक निर्माण विभाग डिविजन, नाहन को कालिज भवन के आर्ट ब्लाक में 2700 लीटर की क्षमता रखने वाली पानी की टंकी लगवाने हेतु मु0 10875/=रुपये की राशि अदा की गई थी । लेकिन इस राशि की प्राप्ति रसीद लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई । इसी

लगातार पृष्ठ 9 पर.......

प्रकार उक्त कार्यालय को कालिज होस्टल की मुरम्मत कराने हेतु भवन निधि में से मु0 64,960/=रू0 की राशि अदा की गई थी परन्तु इस राशि की प्राप्ति रसीद भी लेखा परीक्षा में नहीं दिखाई गई और लोक निर्माण विभाग से प्राप्त उक्त कार्यों को सम्पूर्ण करने के सम्बन्ध में कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में नहीं दिखाया गया। उक्त कार्यालय से वांछित प्राप्ति रसीदें तथा कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र ये अब प्राप्त किये जाएं व अगले अंकेक्षण जांच हेतु प्रस्तुत किये जायें।

छ) ब्याज का कैश बुक में जमा न करने बारे

1) डाकघर में जमा राशियों पर डाकघर से प्राप्त ब्याज को भवन निधि की कैश बुक में आय की तरफ नहीं जोड़ा जाता रहा। यह एक गम्भीर अनियमितता है। ब्याज से प्राप्त निम्न राशियों की अब कैश बुक में आय की तरफ लेखा बन्दी की जाए व अनुपालना की पुष्टि आगामी अंकेक्षण पर करवाई जाए।

ब्याज लगाने की तिथि	ब्याज की राशि	वर्ष
8.7.1987	11704.05	84-85 व 85-86
17.6.88	8828.70	87-88
24.5.89	9274.60	88-89
12.4.90	4263.55	89-90
22.8.90	2525.95	90-91
29.6.91	3312.35	91-92

2) जुन, 1991 से डाकघर में खोला गया बचत खाता बन्द कर दिया गया था तथा मास 7/91 से लेकर भवन निधि की समस्त आय की राशि हि0 प्र0 राज्य सहकारी बैंक(समिति) नाहन के बचत खाता सं0 7039 के अन्तर्गत रखी गई थी। लेकिन डाकघर के बचत खाता में पड़ी शेष राशि नए खाते में जमा नहीं करवाई गई। इस राशि को डाकघर से निकालकर नए खाते में जमा कराया जाए। इसके अतिरिक्त जो ब्याज की राशि बैंक से प्राप्त की गई उसे भी कैश बुक में आय में नहीं लिया गया। इन राशियों की कैश बुक में इन्द्राज करके अनुपालना अगले अंकेक्षण पर दिखाई जाए।

दिनांक	ब्याज की राशि
7.12.91	285.00
9.3.92	821.00
10.9.92	3233.00
10.9.93	5988.00
9.3.94	4580.00

ज) वा0 सं0 1/8 दि0 18.8.92 मु0 2753.00
" 2/8 दि0 22.8.92 मु0 8556.00
" 1/2 दि0 15.2.93 मु0 5355.00

लगातार पृष्ठ 10 पर...

283

वा0 सं0 2/5 दि0 1.5.93 मु0 4262.50
" 1/11 दि0 17.11.93 मु0 5649.30

प्रधानाचार्य द्वारा अवधि 8/1992 से 11/93 तक कुल मु0 26575/=रू0 की राशि भवन निधि कमेटी से अनुमोदन प्राप्त किए बिना ही व्यय कर दी गई थी । यह सन्तोषजनक नहीं था। उक्त व्यय को भवन निधि की कमेटी से अब अनुमोदित करवाया जाए व आगामी अंकेक्षण पर अनुपालना की पुष्टि करवाई जाए ।

7. शुल्क व निधियों का कम जमा करना तथा सम्भावित दुर्विनियोजन:-विभिन्न निधियों की मु0 11029/75 रू0 की राशि छात्रों से विभिन्न रसीदों द्वारा प्राप्त करके कम जमा की गई थी । इस प्रकार इस राशि का दुर्विनियोजन किया गया लगता है इस राशि का विवरण विस्तार से इस लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के परिशिष्ट "क" में दिया गया है । उक्त राशि को दोषी व्यक्ति से अति शीघ्र वसूल करके सम्बधित निधियों में जमा करवाया जाए व अनुपालना से शीघ्र इस विभाग को अवगत करवाया जाए ।

8. आय का देरी से जमा करना:-

नीचे दिए गए विवरण अनुसार छात्रों से वसूल की गई मिश्रित निधि की राशियां देरी से जमा की गई थी ।भविष्य में सभी प्राप्त राशियों को समय पर जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाए

मास	आय की राशि	जमा करने की तिथि
3/87	406.40	23.4.87
12/89	865.00	27.2.89
9.2.89	531.50	1.9.89
7.9.89	2273.20	20.10.89

9. मिश्रित निधि:-

क) परिश्रमिक का मिश्रित निधि से भुगतान करना :-

निम्नलिखित विवरणानुसार मु0 6810/00 रुपये की राशि विभिन्न कर्मचारियों /अधिकारियों को मिश्रित निधि में से विभिन्न प्रकार का अतिरिक्त कार्य करने हेतु दी गई थी । यह व्यय मिश्रित निधि पर उचित प्रभार नहीं था । व्यय की गई राशियों को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित कराया जाए अन्यथा दोषी व्यक्तियों से वसूल करके मिश्रित निधि में जमा कराया जाए व इस विभाग को अनुपालना से अवगत कराया जाए ।

लगातार पृष्ठ 11 पर....

... है । यह मामला उच्चाधिकारियों ...

वा0 सं0 व दिनांक	राशि	विवरण/व्यक्ति का नाम	टिप्पणी
7/5 दि0 3.5.88	450.00	श्री शिव राज सिंह	स्पोर्टस परिश्रमिक.
यथोपरि	210.00	" "	एन सी सी का कार्य करने हेतु
4/11 दि0 06.11.90	600.00	श्री एम0आर0कम्बर	परीक्षा कन्ट्रोलर का कार्य करने हेतु ।
यथोपरि	500.00	" एल एन शर्मा	यथोपरि-उप नियन्त्रक
यथोपरि	500.00	" पी0एन0 शर्मा	यथोपरि-सहायक नियन्त्रक
12/3 दि0 24.3.94	600.00	" एच एच वन्दना	परीक्षा में कन्ट्रोलर का कार्य करने हेतु ।
यथोपरि	500.00	" इन्द्रजीत सिंह	यथोपरि-उप नियन्त्रक
यथोपरि	500.00	" परमानन्द	यथोपरि-सहायक नियन्त्रक
5/06 दि0 17.6.87	600.00	" आर के कश्यप	अतिरिक्त पीरियड पढ़ाने के
यथोपरि	500.00	" एस सी प्रकाश	यथोपरि (भुगतान डी.डी से पारित नहीं था)
7/4 दि0 4/88	100.00	(जी.सी.सूद	अतिरिक्त कार्य करने के
7/6 दि0 13.6.88	1100.00	" शिव राज सिंह	यथोपरि
12/12 दि0 14.12.93	650.00	श्री मति प्रोमिला देवी	एन सी सी का कार्य करने के लिए
	6810.00		

अ) वा0 सं0 7/5 दि0 19.5.88 मु0 425.00 रुपये
" 12/03 दि0 11.8.89 मु0 6536/= रुपये

मैसर्ज संजय एण्ड ब्रदर्ज नाहन से एक अच्छी क्वालिटी की कारपेट नीवार सहित क्रय करने हेतु मु0 6536/= रुपये जिसमें 176/= रुपये की राशि 3 फुट मैट को (Coir 27×16) व 425/= रुपये की राशि एक टेबल पंखा के क्रय करने के मिश्रित निधि से अदा किये गये । यह व्यय इस निधि पर उचित प्रभार नहीं था । यहां पर यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पहले उक्त 6536/= रू0 की राशि के व्यय का बिल सरकारी कन्टीजेन्सी में से राशि निकालने हेतु तैयार किया गया था । लेकिन सरकार द्वारा इस प्रकार के क्रय पर Ban लगाने के कारण उक्त बिल को खजाना नाहन ने पारित नहीं किया । इसके बाद इस राशि को मिश्रित निधि में से बतौर अस्थाई कर्ज देकर व्यय कर दिया गया । लेकिन अभी तक उक्त 6536/= रू0 की राशि को मिश्रित निधि को नहीं लौटाया गया । इसके अतिरिक्त क्रय की गई कारपेट की स्टाक रजिस्टर में प्रविष्टी एवं आगामी डिस्पोजल नहीं दिखाई गई । उपरोक्त व्यय की गई 6536/= + 425/- रुपये की राशियों को दोषी व्यक्ति अथवा उचित स्त्रोतों से वसूल करके मिश्रित निधि में जमा कराया जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए ।

लगातार पृष्ठ 12 पर.....

ग) उ०प० सं० 3/10 दि० 11.10.89 मु० 4667/=रुपये

मैसर्ज जैन ब्रदर्ज ,नाहन को कारपिट 13.5x22 के आकार के क्रय करने के 4667/=रुपये की राशि मिश्रित निधि से अदा की गई थी । यह व्यय निधि पर उचित प्रभार नहीं था क्योंकि क्रय की गई कारपिट प्रधानचार्य के कार्यालय में बिछाई गई थी । इस प्रकार मिश्रित निधि में से अनुचित ढंग से व्यय की गई 4667/=रु० की राशि को उचित स्त्रोतों से वसूल करके मिश्रित निधि में जमा करवाया जाए ।

घ) ब्याज का कैश बुक में आय की तरफ न दिखाना

कैश बुक व पास बुक की जांच करते समय देखा गया कि बचत बैंक में जमा धन राशियों पर जो ब्याज की राशियां बैंक द्वारा प्रदान की गई थी उन्हें कैश बुक में आय की तरफ नहीं लिया गया था । यह आपत्तिजनक था ।बैंक द्वारा ब्याज के रुप में पास बुक में जमा राशियों को शीघ्र कैश बुक में आय की तरफ लिया जाए व अनुपालना की पुष्टि अगले अंकेक्षण पर कराई जाए:-

ब्याज लगाने की तिथि	ब्याज की राशि
20.9.87	7144.50
26.9.88	7049.55
15.1.90	6552.87
28.12.90	7547.87
8.1.92	12330.56
17.5.93	15546.50
31.1.94	15032.61

ड.) मिश्रित निधि से अनाधिकृत व्यय:-

कुमारी रंजना ठाकुर को कालिज की लाईब्रेरी में दैनिक रुप से Restorer के रुप में कार्य करने हेतु प्रधानचार्य द्वारा अपने आदेश संख्या ओ० सी० के०/3/ इस्टैबलिसमैन्ट / 92-1072 -72 दिनांक 22.8.92 के अनुसार नियुक्त किया था परन्तु प्रधानचार्य न तो इस नियुक्ति को करने में सक्षम थे और न ही कुमारी रंजना ठाकुर का जिला रोजगार कार्यालय से नाम प्रयोजित करवाया गया था ।इसके अतिरिक्त कुमारी रंजना ठाकुर को अवधि 22.8.92 से 10/93 तक निम्न विवरणानुसार कुल मु० 8788/=रु० की राशि 30.20रुपये प्रतिदिन की दर से भुगतान की गई थी । लेकिन सम्बन्धित आदेशों की प्रति जिनके द्वारा 30.20 रुपये प्रति दिन के हिसाब से निर्धारित की गई थी,

लगातार पृष्ठ 13 पर.......

अंकेक्षण पर प्रस्तुत नहीं की गई थी । यह व्यय इस निधि पर वैध प्रभार नहीं था उपरोक्त अनियमितताओं के इसके अतिरिक्त दृष्टिगत व्यय की गई राशि को दोषी व्यक्ति अथवा उचित स्त्रोतो से वसूल करके तुरन्त मिश्रित निधि में जमा करवाया जाए व इस विभाग को यथासमय अनुपालना से अवगत करवाया जाए ।

वा0 सं0 व दिनांक	राशि
3/9 दि0 9.9.92	242.00
1/10 दि0 1.10.92	725.00
3/11 दि0 9.11.92	362.00
1/12 दि0 5.12.92	695.00
2/2 दि0 3.2.93	755.00
1/3 दि0 1.3.93	664.00
2/5 दि0 12.5.93	604.00
3/4 दि0 7.4.93	785.00
01/6 दि0 1.6.93	725.00
1/7 दि0 5.7.93	755.00
2/8 दि0 3.8.93	725.00
1/9 दि0 2.9.93	664.00
4/10 दि0 1.10.93	725.00
13/11 दि0 16.11.93	362.00
जोड़:	8788.00

घ) वा0 सं0 1/11 दि0 17.11.93 मु0 5649.30

निम्नलिखित विवरणानुसार विभिन्न फर्मों से निम्न सामान के क्रय करने हेतु 5649.30रू0 की राशि व्यय की गई थी । लेकिन यह भुगतान डी0डी0 ओ0 द्वारा पारित नहीं किया गया था तथा क्रय किये गये सामान का स्टाक रजिस्टर भी लेखा परीक्षा में नहीं दिखाया गया । अपेक्षित कार्यवाई अब की जाए व अनुपालना अगले अंकेक्षण पर दिखाई जाए ।

फर्म का नाम	वस्तुओं का नाम	राशि
मैसर्ज गुरमील फैबरीकेटर नाहन	लोहे के फोल्डीवल दरवाजे	5292.30
श्री सतपाल सिंह मोहल्ला गोविन्दगढ़ नाहन	दरवाजों की ढुलाई	100.00
मैसर्ज हार्डवियर एण्ड जनरल स्टोर, नाहन	एक ताला	52.00
मैसर्ज गुरमील फैबरीकेटर नाहन	दरवाजों को लगाने के	204.00
	जोड़ =	5648.30

छ) रसीदी टिकटों का न लगाना

निम्नलिखित फर्मों द्वारा प्रस्तुत की गई राशि की प्राप्ति रसीदों पर

लगातार पृष्ठ 14 पर.....

रसीदी टिकट नहीं लगाये गये थे। इस सन्दर्भ में आवश्यक कार्यवाही शीघ्र करके अनुपालना आगामी लेखा परीक्षा के समय दिखाई जाए।

वा0 सं0 व दिनांक	राशि	फर्म का नाम
शून्य दि0 3/92	2974.00	मै0 यूनिवर्सल स्पोर्टस चण्डीगढ़
"	280.00	"
7/8 दि0 10.3.92	135.00	मै0 रजिन्द्र सिंह नया बाजार नाहन
4/8 दि0 22.8.91	75.00	राम सरूप वेद प्रकाश नाहन
5/8 दि0 23.8.91	22.00	महेश एण्ड बद्रर्ज नाहन
6/10 दि0 12.10.89	306.00	इन्टरनेशनल पबलिशर चण्डीगढ़
3/12 दि0 19.12.88	113.00	बेबी फैन्सी स्टोर नाहन
6/12 दि0 24.12.88	305.00	डी0सी0एस0 नाहन
7/5 दि0 19.5.88	191.00	भण्डारी इलैक्ट्रीकल स्टोर नाहन
24/3 दि0 15.3.1988	99.00	अनिल ट्रेडज नाहन
28/3 दि0 30.3.88	865.00	मैसर्ज दीप स्टील एण्टरपराजिज नाहन
16/3 दि0 7.3.88	30.00	प्रेम एण्ड ब्रदर्ज नाहन
9/3 दि0 7.3.88	22.00	पिन्टी मैडीकल हाल नाहन

जः) भुगतान करने पर रसीदों का प्रस्तुत न करना

निम्नलिखित विवरणानुसार निम्न फर्मों से सामान के क्रय करने के लिए मिश्रित निधि में से राशियाँ अदा की गई थी। लेकिन इन राशियों की प्राप्ति रसीदें लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। यह रसीदें सम्बधित फर्मों से प्राप्त करके अगले अंकेक्षण के समय आवश्यक जांच हेतु प्रस्तुत की जांए।

वा0 सं0 व दिनांक	राशि	फर्म का नाम
2/11 दि0 13.11.91	8830.00	लैब इन्स्ट्रुमैन्ट एण्ड कोमिस्टरी अम्बाला
1/2 दि0 21.2.91	4754.00	जीन एण्ड को0 अम्बाला
3/5 दि0 29.5.92	1048.00	लैब इन्स्ट्रुमैन्ट एण्ड कोमिस्टरी अम्बाला
1/4 दि0 19.4.93	2597.00	जिन एण्ड को0 अम्बाला
3/12 दि0 10.12.93	3651.00	---यथोपरि---
5/7 दि0 22.7.93	139.00	मैसर्ज जैन एण्ड ब्रदर्ज नाहन
3/7 दि0 21.7.93	4475.00	हिम सरजीकल एण्ड कैमिकल शिमला।

झः) स्टाक इन्दराज:- निम्नलिखित विवरणानुसार विभिन्न वाउचरों द्वारा निम्न सामान मिश्रित निधि में से क्रय किया गया था लेकिन क्रय किये गये सामान का इन्दराज स्टाक रजिस्टर में नहीं किया गया। स्टाक रजिस्टर की अनुपस्थिति में सामान की प्राप्ति की वास्तविकता की जांच नहीं की जा सकी।

लगातार पृष्ठ 15 पर।

क्रय किये गये सामान को स्टाक रजिस्टर में दर्ज करके तथा इसके निस्तारे सहित अभिलेख अगले अंकेक्षण पर आवश्यक जांच हेतु प्रस्तुत किया जाए ।

वा0 सं0 व दिनांक	राशि	वस्तुओं का नाम	संख्या
17/3 दि0 7.3.88	200.00	जूते तथा जुराबें	7 जोड़े
13/10 दि025.10.89	350.00	टि्यूब सैट व पावर पुआईन्ट	2.2 नं0
14/3दि0 7.3.88	198.25	जुते	4 जोड़े
1/12 दि02.12.88	47.00	टार्च सैल	12 नं0
----यथोपरि----	88.00	बिजली का सामान	--
---यथोपरि---	77.00	बल्ब व टेप रोल	--
3/2 दि019.12.88	113.00	दिप्फिमा क्रीम टीसलें	--
---यथोपरि---	66.00	हीटर वैड	एक
5/8दि0 23.8.91	22.00	रजिस्टर	2
6/12दि02.12.88	14.00	सफेद कागज	--
-शुन्य दि06.6.92	190.00	वैज(Badges)	--
विल न02523 दि0 24.3.92	50.00	फरैनेल की गोलियां	--
" 1010 दि023.3.93	216.00	एस.सी.ए.व इन्टर कालिज प्रमाणपत्र	
-शुन्यदि011.3.93	1091.00	-कपड़ा-	--
36 दि029.9.92	925.00	म्युजिक का सामान	--
13/3दि024.3.92	200.00	ड्राईंग शीट	25 नम्बर

ल) वा0 सं0 12/12 दि0 16.12.91 मु0 2190.00रुपये
वा0 सं0 4/12 दि0 7.12.92 मु0 1440.00रुपये

अंकेक्षण के दौरान देखा गया कि उपरोक्त वाउचरों द्वारा विभिन्न प्रकार की खेलों का अभ्यास करते समय खिलाडियों को जलपान दिये जाने पर मु0 2190/=रु0 1440/=रुपये की राशियां मिश्रित निधि में से व्यय की गई थी परन्तु शिक्षा निदेशक के पत्र संख्या ई0डी0एन0-एच0(12)ई0 (11)256/83 डीई एच0पी0दि0 26.12.90 के अनुसार उक्त उद्देश्य हेतु व्यय छात्र निधियों से अदेय नहीं था। अतः अनुचित ढंग से व्यय की गई राशियों को दोषियों से वसूल करके निधि में जमा कराया जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए ।

व) वा0 सं0 10/3 दि0 20.3.92 मु0 3031.00 रु0
मार्च 1992 में वार्षिक पुरस्कार वितरण समरोह पर 3031/-रु

लगातार पृष्ठ 16

राशि व्यय की गई थी । लेकिन इस मदों से सम्बन्धित वाउचर व छात्रों के नामों की सूचि जिन्हें इनाम वितरित किये गये थे, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये । उपरोक्त अभिलेख की अनुपस्थिति में किए गए व्यय की वास्तविकता की जांच नहीं की जा सकी उपरोक्त व्यय सम्बन्धित पूर्ण अभिलेख अगामी अंकेक्षण में आवश्यक जांच हेतु प्रस्तुत किया जाए । अन्यथा उक्त राशि को दोषी व्यक्ति से वसूल करके मिश्रित निधि में जमा करवाया जाए ।

ठ) वा0 सं0 5/1 दि0 28.1.93 मु0 6684/-रुपये
" 10/9 दि0 28.9.93 मु0 60647/=रुपये
" 12/9 दि0 30.9.93 मु0 39827/=रुपये

मै0 सुरेन्द्रा इलैक्ट्रीकल एण्ड जनरल स्टोर नाहन से बिजली के विभिन्न प्रकार के सामान के क्रय व संस्थापन करने हेतु मु0 107159/=रुपये की राशि मिश्रित निधि में से व्यय की गई थी व्यय सम्बन्धी विभिन्न बिलो का विवरण निम्न प्रकार से है ।

क्र0सं0	बिल नं0 व दिनांक	बिल का जोड़	खरीद	मजदूरी पर खर्चा
1.	623-624 दि0 5.1.93	6684.00	5234.00	1450.00
2.	1635 दि0 14.8.93	9896.00	8096.00	1800.00
3.	1637 दि0 15.8.93	9933.00	8233.00	1700.00
4.	1638 दि0 17.8.93	9949.00	6749.00	3200.00
5.	1642 दि0 20.8.93	9900.00	7800.00	2100.00
6.	1643 दि0 21.8.93	9900.00	7800.00	2100.00
7.	1644 दि0 24.8.93	4065.00	2065.00	2000.00
	जोड़	= 60327.00	45977.00	14350.00
8.	1646 दि0 26.8.93	9998.00	7598.00	2400.00
9.	1650 दि0 1.9.93	9252.00	4352.00	5600.00
10.	1653 दि0 4.9.93	9902.00	4602.00	5300.00
11.	1648 दि0 29.8.93	9994.00	8094.00	1900.00
12.	1655 दि0 6.9.93	6986.00	1986.00	5000.00
	कुल जोड़=	107159.00	72609.00	34550.00

1) उपरोक्त व्यय की गई 107159/=रुपये की राशि में से मु0 34550/=रु0 की राशि बिजली के सामान के संस्थापन करने पर ही और मजदूरी व्यय किये

...शेष पृष्ठ 17 पर...

गये थे । यह व्यय अत्यन्त ज्यादा प्रतीत होता है । यह मामला उच्चाधिकारियों के ध्यान में लाया जाता है । उपरोक्त कार्य पर हुए वास्तविक व्यय की जांच करके वस्तुस्थिति से इस विभाग को अवगत करवाया जाए ।

2) यह व्यय मिश्रित निधि पर उचित प्रभार नहीं था । अतः व्यय की गई राशियों को या तो उचित स्त्रोत से वसूल कर मिश्रित निधि में जमा करवाया जाए अन्यथा सक्षम अधिकारी की स्वीकृति लेकर नियमित करवाया जाए तथा अनुपालना आगामी लेखा परीक्षा के समय दिखाई जाए ।

3) उपरोक्त कार्य हेतु प्रशासनिक एवं तकनिकी प्राधिकारी से स्वीकृति नहीं ली गई थी । आवश्यक कार्यवाही शीघ्र कर के अनुपालना आगामी अंकेक्षण पर दिखाई जाए ।यह कार्य स्थानीय मार्किट से करवाने के वजाए लोक निर्माण विभाग (बिजली विंग) से करवाया जाना वांछित था क्योंकि प्रधानाचार्य द्वारा अपने ही स्तर पर बिना किसी प्रकार की औपचारिकताएं पूर्ण किए ही करवाया गया है । कार्य सम्बन्धी विभिन्न औपचारिकताओं को पूर्ण न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए ।

4) इस कार्य को करवाने हेतु निविदाएं मै0 सुरेन्द्रा इलैक्ट्रीक्स एण्ड जनरल स्टोर नाहन (2) मै0 सुरेन्द्र लाल एण्ड सन्ज नाहन तथा (3) फर्म मै0 सैनी फैन्सी स्टोर नाहन से दस्ती प्राप्त की गई थी जिन पर प्रेषण संख्या भी नहीं लगाया गया था । इसके अतिरिक्त उपरोक्त कोटेशनों के अवलोकनापरान्त यह पाया गया कि उपरोक्त तीसरी नम्बर पर दर्शाई फर्म बिजली के सामान का लेन देन ही नहीं करती थी यह गम्भीर अनियमितता उच्चाधिकारियों के ध्यान में आवश्यक कार्यवाही हेतु लाई जाती है ।

5) क्रम संख्या एक पर वर्णित बिल संख्या 623-624 दिनांक 5.1.93 के अनुसार 2 स्विच 5 Ampr. 10/=रू0 प्रति एक की दर से 20/=रुपये बनते थे क्योंकि 24/=रू0 अदा किये गये । इसी प्रकार 8 चौकें 40 वाट 79/=रुपये प्रति एक की दर से कुल कीमत 632/=रुपये बनती थी क्योंकि भुगतान 792 का किया गया था । इस प्रकार कुल 164/=रुपये की राशि अधिक अदा की गई ।अतः राशि को फर्म अथवा दोषी व्यक्ति से वसूल करके तुरन्त निधि में जमा कराया जाए ।

6) वाउ0 सं0 149 दि0 30.9.93 मु0 23920/=रुपये

मै0 सुरेन्द्रा इलैक्ट्रीक्स एण्ड जनरल स्टोर, नाहन से एक पोर्टेबल जनरेटर सैट श्री राम हौण्डा के क्रय करने के कर सहित मु0 23920/=रुपये की राशि

लगातार पृष्ठ 18 पर.........

अदा की गई थी । इस व्यय की जांच पर निम्न लिखित आपत्तियां अपेक्षित हैं:-

1. जनरेटर प्रात:कालीन महाविद्यालय की मिश्रित निधि में से क्रय किया गया था जबकि इस का प्रयोग सान्ध्यकालीन की कक्षाओं में बिजली के ना होने पर किया जाता था अत: यह व्यय सांध्यकालीन महाविद्यालय की मिश्रित निधि में से किया जाना वांछित था । अत: किए गए व्यय को उचित स्त्रोत से वसूल कर मिश्रित निधि में जमा करवाया जाए

2. जनरेटर का भंडारण अन्दराज भी सान्ध्य कालिन महाविद्यालय की स्टाक पंजिका में किया गया था जबकि व्यय प्रात: कालिन महाविद्यालय की निधि में से किया गया था । उपरोक्त अनियमितता का शीघ्र निपटारा किया जाए ।

3. उक्त क्रय करने हेतु कोटेशनें नहीं ली गई थी । इस प्रकार कोटेशनें ~~क्रय करने की ...~~ लिए बिना ही सामान क्रय करने की दशा में अधिक भुगतान होने की सम्भावना प्रतीत होती है । कोटेशनें अब प्राप्त करके अगले अंकेक्षण पर प्रस्तुत की जायें ।

द) वा० सं० शुन्य दि० 12/88 मु० 603/=रुपये

मै० सुरेन्द्रा इलैक्ट्रीकल एण्ड जनरल स्टोर नाहन को उनके बिल संख्या 408 दि० 20.12.88द्वारा मु० 603/=रुपये की राशि एक ब्रीफकेस के क्रय करने हेतु मिश्रित निधि में से अदा की गई थी इस सामान के क्रय करने से पूर्व कोई कोटेशनें नहीं ली गई थी । अत: इस तरह भुगतान का अधिक किये जाने का सन्देह प्रतीत होता है । कोटेशनें अब प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण पर दिखाई जायें इसके अतिरिक्त उक्त व्यय मिश्रित निधि पर उचित प्रभार नहीं था चूंकि उक्त ब्रीफकेस श्री शिव राज सिंह कैशियर को कार्यालय प्रयोग हेतु जारी किया गया था । इस व्यय को उचित स्त्रोत से वसूल कर शीघ्र मिश्रित निधि में जमा करवाया जाए अन्यथा सक्षम अधिकारी की स्वीकृति लेकर नियमित करवाया जाए ।

ण) वा० सं० 1/7 दि० 3.7.92 मु० 10,880.00 रु०
" 4/7 दि० 14.7.93 मु० 35,600.00 रु०
" 8/11 दि० 10.11.93 मु० 30,000.00 रु०

निम्नलिखित विवरणानुसार 76,480/=रुपये की राशि मिश्रित निधि से व्यय की गई थी ।

क्र०सं०	बिल नं० व दिनांक	क्रय की गई वस्तुऐं	दर	राशि
1.	5703 दि० 24.6.90	300 छात्र उपस्थिति रजिस्टर ।	32/-	9600.00
2.	"	40 सैक्वैन्टी रजिस्टर	32/-	1280/00

3.	5898 दि0 17.6.93	20 फण्ड अग्रिम रजिस्टर	200/=	4000.00
4.	"	10फण्ड एक्युटैन्स रोल	200/--	2000.00
5.	5897 दि0 16.6.93	50 फण्ड कैश बुक	200/-	10000.00
6.	5901 दि0 21.6.93	200 छात्र उपस्थिति रजिस्टर	40/-	8000.00
7.	"	06 परीक्षा रजिस्टर	200x-	1200.00
8.	5505 दि0 25.6.93	1600 पहचान व लाईबेरी कार्ड	6.50	10,400.00
9.	--यथोक्त ---	150 फीस रजिस्टर	200/-	30000.00
			जोड़ =	76,480.00

उपरोक्त व्यय की जांच पत्र में निम्नलिखित आपत्तियां पाई गई है:-

1. क्रम संख्या 8 पर दर्शाए गए पहचान पत्र कम-लाईबेरी कार्ड 6.50 रू0 प्रति कार्ड की दर से मुद्रित करवाए गए जबकि छात्रों से केवल 5/=रू0 प्रति छात्र की दर से वसूली की गई थी इस प्रकार प्रत्येक कार्ड के मुद्रण पर 1.50रू0 अधिक व्यय करके कुल 1600x1.50 =2400/- रू0 की राशि वसूली से अधिक व्यय की गई थी । इस प्रकार अधिक व्यय की गई राशि को उचित स्त्रोतों अथवा दोषी व्यक्ति से वसूल करके निधि में जमा करवाया जाए ।

2. छात्रों के उपस्थिति रजिस्टरों, कन्सोलीडेटिड दण्ड रजिस्टर व फीसरजिस्टरों इत्यादि के मुद्रण पर किया गया व्यय निधि पर उचित प्रभार नहीं था । अतः व्यय की गई राशियों को उचित स्त्रोतों से वसूल करके निधि में जमा कराया जाए । अन्यथा सक्षम अधिकारी से स्वीकृति लेकर नियमित करवाया जाए ।

3. वा0 सं0 9/11 दि0 10.11.93 द्वारा किया गया मु0 30,000/=रू0 की राशि का भुगतान सक्षम अधिकारी द्वारा पारित नहीं किया गया था । इस भुगतान को अब पारित करवाया जाए ।

4. उक्त मुद्रण को नियन्त्रक, मुद्रित कार्यालय शिमला से न करवाने तथा नियन्त्रक कार्यालय से NOC प्राप्त किए बिना ही निजि फर्मों से मुद्रित करवाए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए । तथा प्रदेश से बाहर मुद्रण कराने के कारण बताये जायें ।

5. वा0 सं0 1/7 दिनांक 3.7.92 द्वारा क्रय किये गये सामान हेतु कोटेशनें के प्राप्त करने की अन्तिम तिथि 3.6.92 निर्धारित की गई थी जबकि कोटेशनें दिनांक 11.6.92 को प्राप्त की गई थी । निर्धारित अवधि के बाद प्राप्त

लगातार पृष्ठ 20 पर ....

प्राप्त की गई कोटेशनों को स्वीकृति प्रदान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

त) निम्नलिखित विवरणानुसार मिश्रित निधि में से किया गया व्यय मिश्रित निधि पर उचित प्रभार नहीं था । इस व्यय को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए अन्यथा व्यय की गई राशि को दोषी व्यक्ति से वसूल करके निधि में जमा करवाया जाए ।

वा० सं० व दिनांक	श्री/श्रीमती/कुमारी/व्यक्ति का नाम	भुगतान का उद्देश्य	राशि
5/12 दि० 24.12.88	श्री एस.एस. वटटा	यात्रा भत्ता नाहन से मसूरी शिक्षा प्रवास हेतु ।	197.00
"	श्रीमति अग्रवाल	-----यथोपरि-----	135.00
"	श्री गुफर अहमद	----यथोपरि----	68.00
"	" पी०एल० शर्मा	---यथोपरि------	186.00
5/7 दि० 2.7.88	" अवतार सिंह	नाहन से शिमला व वापसी	231.00
1/1 दि० 2.7.89	" एल.एन. शर्मा	---यथोपरि-----	211.00
गुल्य दि० 3/92	" बी एल शर्मा	उद्देश्य नहीं दिखाया गया	76.00
5/6 दि० 24.6.94	श्री मति क्य मगंला	नाहन से शिमला व वापसी	204.00
		कुल जोड़:	1268.00

5/7 दि० 22.7.92	श्री लाल चन्द	यात्रा भत्ता	404.00
10/3 दि० 7.3.88	" पी.एल.शर्मा (भुगतान 272.25 के बजाए 290.25 का किया गया था ।)	यात्रा भत्ता	290.25
5/8 दि० 22.8.91	ईंट का रंग व पेन्ट के क्रय करने के लिए		75.00
5/8 दि० 23.8.91	10 कि०ग्रा० सफेदी तथा ½ ग्राम गोंद		42.00
"	2 जग, एक तौलिया तथा 6 गलास		174.00
"	ताला एक तथा सगलं की वैलडिंग		81.00
"	टाईपिंग पेपर तथा रजिस्टर		50.00
"	रीफल		65.00
5/7 दि० 22.7.93	2 नं० थरमोस, एक odonil		414.00
"	12 नं० गलास		65.00
1/3 दि० 7.3.88	श्री मनोज कुमार	यात्रा भत्ता	277.25
1/3 दि० 7.3.88	" पी.एल.शर्मा	यात्रा भत्ता	156.00
1/3 दि० 7.3.88	" धर्म दत्त, तबला मास्टर का वेतन		250.00
1/5 दि० 2.5.88	---यथोपरि---		250.00
1/5 दि० 11.5.88	---यथोपरि----		56.00
1/3 दि० 7.3.88	श्री पी०एल० शर्मा	यात्रा भत्ता	235.25
		कुल जोड़	4151.75

पृष्ठ 21 पर........

घ) वा0 सं0 1/2 दि0 2.12.88 मु0 3600.00

मै0 वीयर एण्ड वीन चण्डीगढ़ से 1000 पिन वैज के क्रय करने के मु0 3600/=रुपये की राशि अदा की गई थी लेकिन क्रय किये गये पिन वैजों का भण्डारण स्टाक व आगामी निपटारा लेखा परीक्षा में नहीं दिखाया गया। अनुपालना आगामी अंकेक्षण पर दिखाई जाए।

ड़) वा0 सं0 5/7 दि0 22.7.93 मु0 184.00

श्री लाल चन्द को व्यक्ति/ व्यवसायिक अवकाशों पर होने के कारण कार्यालय में वापिस बुलाने हेतु 42/=रुपये की राशि दैनिक भत्ते व 142/=रुपये की राशि किराया के रूप में मिश्रित निधि से अदा की गई थी। जबकि भारत सरकार के पत्र संख्या 19030/4-डी/86 ई-4 दि0 10.4.87 तथा हि0 प्र0 सरकार के पत्र संख्या एफ0 डी0 ओ0 एच0 संख्या फिन (सी) 4(3) 1/86-II दिनांक 29.6.87 द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि अवकाश पर गये कर्मचारी को यदि अवकाश समाप्त होने से पहले ही कार्यालय में बुलाने पर सम्बन्धित कर्मचारी को केवल यात्रा भत्ता ही देय होगा तथा दैनिक भत्ता नहीं दिया जाएगा। इस प्रकार श्री लाल चन्द को दैनिक भत्ता के रूप में दी गई 42/-रु0 की राशि देय नहीं थी। यह राशि दोषी से शीघ्र वसूल कर निधि में जमा करवाई जाए इसके अतिरिक्त यह व्यय मिश्रित निधि पर उचित प्रभार नहीं था अत: व्यय की गई राशि को उचित स्त्रोतो अथवा दोषी व्यक्ति से वसूल करके मिश्रित निधि में जमा कराया जाए।

च) वा0 सं0 2/7 दि0 17.7.90 मु0 326.00
" 7/5 दि0 13.5.88 मु0 885.00

मै0 रामा फोटोस्टेट, वाला अम्ब,नाहन को 326/=रुपये की राशि कार्यालय की हिन्दी व अंग्रेजी की टंकण मशीनों की मुरम्मत करने के तथा मै0 स्टील इन्टरप्राईजिज नाहन को 5 नम्बर लोहे की ग्रील क्रय करने के मिश्रित निधि से अदा किये गये थे जो कि निधि पर उचित प्रभार नहीं था उक्त राशि को उचित स्त्रोतो से वसूल करके तुरन्त निधि में जमा करवाया जाए व अनुपालना से यथासमय इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

छ) वा0 सं0 18/12 दि0 22.12.93 मु0 20,000.00

श्री आई-जे शर्मा को मिश्रित निधि से दिनांक 22.12.93 को 20000/-रुपये की राशि बतौर अस्थाई अग्रिम के रूप में सामान क्रय करने के लिए अदा

लगातार पृष्ठ 22 पर.......

किए गये थे लेकिन शर्मा द्वारा उक्त राशि बिना किसी प्रकार का सामान क्रय किए ही दिनांक 3.3.94 को अर्थात दो मास के पश्चात रसीद संख्या 47777 द्वारा जमा करवाया गया इस प्रकार उक्त 20,000/=रुपये की राशि श्री शर्मा के पास अनावश्यक रूप से 2 मास तक रखे जाने के कारण अस्थाई दुर्विनियोजन हुआ है निधि को निश्चित रूप में ब्याज की हानि हुई है ।उक्त प्रकार की अनियमितता बारे अगले अंकेक्षण में औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता से निश्चित तौर पर परिहार करें ।

4) वा0 सं0 4/6 दि0 12.6.91 मु0 15000/=रुपये

श्री काम राज, लिपिक को दिनांक 12.6.91 को यू0 जी0 की परीक्षाओं को करवाने हेतु 15000/=रुपये की राशि अदा की गई थी जिसमें से मु0 11235/-रुपये की राशि व्यय की गई थी जिसका लेखा जोखा हि0 प्र0 विश्वविद्यालय को पत्र संख्या जीएसीएएन /परीक्षा -90-728दि0 8.7.91 द्वारा भेजा गया था तथा दिनांक 7.4.92 को उक्त 11235/=रुपये मे से केवल 10670/=रुपये की राशि की प्रतिपूर्ति की गई । इस प्रकार 565/=रुपये की राशि की कम पूर्ति किये जाने स्वरूप उक्त 565/=रुपये की राशि को दोषी व्यक्ति से वसूल करके निधि में जमा कराया जाए । इसके अतिरिक्त मु0 10670/=रुपये की राशि जो कि विश्वविद्यालय Recoup की गई थी उसे विश्वविद्यालय के खाते में जमा करवाया गया था जबकि यह राशि मिश्रित निधि में जमा करवाया जाए । इसके अतिरिक्त उक्त 15000/=रुपये की राशि जो श्री काम राज को अदा की गई थी उसमें से श्री काम राज द्वारा मु0 11235/=रुपये की राशि व्यय की गई थी शेष 3765/=रुपये की राशि में से 2165/=रुपये की राशि पत्र सं0 शुन्य दिनांक 7.9.91 द्वारा श्री शिव राज सिंह द्वारा प्राप्त की गई थी लेकिन यह राशि अंकेक्षण अवधि तक सम्बन्धित निधि में जमा नहीं की गई है । तथा मु0 1600/- रुपये की शेष राशि श्री काम राज द्वारा अभी तक अपने पास रखी गई है इस प्रकार इन कर्मचारियों द्वारा 2165+1600) कुल 3765/=रुपये को लम्बी अवधि अनावश्यक रूप में हस्तगत रखते हुए अस्थाई दुर्विनियोजन किया गया है अत:. श्री शिव राज सिंह से 2165/=रुपये की राशि व काम राज से 1600/=रुपये कुल 3765/=रुपये की राशि तुरन्त ब्याज सहित वसूल करके मिश्रित निधि में जमा करवाये जाये व इस विभाग को अनुपालना से यथासमय अवगत करवाया जाए ।

लगातार पृष्ठ 23 पर......

घ) श्री एम0आर0 कंवर को वर्ष, 1990 में यु0 जी0 की वार्षिक परीक्षाओं में केन्द्र अधीक्षक के रूप में कार्य करने हेतु 2500/=रूपये की राशि मास 5/90 में अदा की गई थी, जिसमें से श्री कंवर द्वारा 2163/=रूपये की राशि उक्त परीक्षा में व्यय की गई थी तथा शेष बची 337.00रूपये की राशि श्री कंवर द्वारा दिनांक 28.5.90 को श्री शिव राज सिंह के पास जमा करवा दी गई थी तथा श्री सिंह द्वारा उक्त राशि को प्राप्त किया गया भी दिखाया गया था लेकिन इस राशि को श्री शिव राज सिंह द्वारा मिश्रित निधि के खाते में जमा नहीं करवाया गया था जिसे अब श्री शिव राज से वसूल करके तुरन्त निधि में जमा करवाया जाए व अनुपालना से इस विभाग को यथासमय पर अवगत कराया जाए।

ङ) वा0 सं0 13/3 दि0 24.3.92 मु0 1830.00

मै0 युनिवर्सल स्पोर्टस एण्ड कम्पनी, चण्डीगढ़ से 40 सैट मैडल के क्रय करने के 1830/=रूपये की राशि मिश्रित निधि से अदा किये गये थे तथा स्टाक रजिस्टर के अनुसार यह मैडल ऐथलैटिक के विजेताओं को वार्षिक ईनाम के तौर पर वितरित किये गये दर्शाए थे लेकिन छात्रों के नामों की सूची जिनमें उक्त मैडल वितरित किये गये थे, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई जिसकी अनुपस्थिति में वास्तविकता की जांच नहीं की जा सकी। सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर आवश्यक जांच हेतु प्रस्तुत किये जायें।

च) वा0 9/10 दि0 21.10.89 मु0 2100.00

दिनांक 26.10.89 से 28.10.89 तक कुल्लु में विश्वविद्यालय स्तर की खेल प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें निम्न प्रकार से व्यय किया गया था :-

1.	जलपान 10 दिन के लिए	=100.00
2.	बस किराया नाहन से कुल्लु तथा वापसी।	=700.00
3.	दैनिकी भत्ता	=300.00
4.	रैफरी फीस	=150.00
5.	कीट	=350.00
6.	अध्यापक प्रभारी को अग्रिम धन	=400.00
7.	फुटकर व्यय	=100.00
	कुल व्यय =	2100.00

उपरोक्त व्यय पर निम्नलिखित आपत्तियां की जाती है :-

1. जलपान 10 दिन के लिए अदा किया गया शेष 3 दिन तक खेला गया जबकि जलपान 10 दिन के लिए अदा...

लगातार पृष्ठ 24 पर.....

गया इस प्रकार 7 दिन के लिए 70/=रुपये की राशि अधिक अदा की गई थी इस व्यय का औचित्य स्पष्ट किया जाए

2. खिलाड़ियों के नामों की सूची लेखा-परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई, जिसकी अनुपस्थिति में व्यय की वास्तविकता की पुष्टि नहीं की जा सकी

3. अध्यापक प्रभारी को जो 400/=रुपये की राशि अग्रिम के रूप में अदा की गई थी, उसके समायोजन व्यय लेखे लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए जिसे अगले अंकेक्षण पर दिखाया जाए अन्यथा दोषी से उक्त राशि वसूल करके निधि में वापिस जमा की जाए व अनुपालना अगले अंकेक्षण में सत्यापनार्थ प्रस्तुत करें।

4. संपरीक्षण के दौरान यह भी देखा गया कि प्रधानाचार्य द्वारा उक्त मैच हेतु व्यय केवल 2021/=रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी जबकि व्यय 2100/= रुपये का किया गया इस प्रकार स्वीकृत राशि से 79/=रुपये की राशि अधिक व्यय किये जाने के कारण बताये जाये अन्यथा 79/=रुपये की राशि अतिरिक्त स्वीकृति प्राप्त करके अगले अंकेक्षण पर दिखाई जाए।

मई वा० सं० 7/9 दि० 21.9.92 मु० 3000/=रुपये

श्री मनोज कुमार शर्मा को दिनांक 6.10.92 से 9.10.92 तक युवा समारोह पर होने वाले व्यय हेतु मु० 3000/=रुपये की राशि अग्रिम धन के रूपमेंअदा की गई थी जिस पर 3016/=रुपये की राशि निम्न प्रकार से व्यय की गई दिखाई गई थी :-

1. बस किराया	486.00
2. दैनिकी भत्ता	1200.00
3. जलपान पर व्यय	450.00
4. बस किराया एक व्यक्ति का नाहन से सोलन तथा वापसी	26.00
5. सामान की ढुलाई	100.00
6. कुली को भाड़े के रूप में अदा किये गये	290.00
7. यात्रा भत्ता श्री मनोज कुमार को	192.00
8. एन्ट्रीफीस	120.00
9. यात्रा भत्ता श्री राजीव शर्मा	152.00
कुल जोड़	=3016.00

उपरोक्त व्यय पर निम्नलिखित आपत्तियां पाई गई हैं:-

लगातार पृष्ठ 25 पर.........

1. खेलों के अभ्यास के समय खिलाड़ियों को दिनांक 23.9.92 से 5.10.92 तक किये गये मु0 450/=रुपये की राशि को दोषी व्यक्ति से वसूल करके निधि में जमा कराया जाये क्योंकि अभ्यास के समय खिलाड़ियों को अल्पाहार देने का निधि में कोई प्रावधान नहीं है ।

2. खिलाड़ियों के अतिरिक्त अन्य एक व्यक्ति को बस किराये के अदा किये गये 26/=रुपये की राशि का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा टैक्सी किराये के 100/=रुपये तथा 290/=रुपये की बतौर कुली भाड़े के दिये जाने का भी औचित्य स्पष्ट किया जाये क्योंकि यह निधि से नहीं दिये जा सकते थे उक्त राशि को दोषी व्यक्ति से वसूल करके निधि में जमा करवाया जाये ।

3. श्री मनोज कुमार तथा श्री राजीव शर्मा को मु0 192/=रुपये तथा 152/ रुपये की राशि बतौर यात्रा भत्ता की जो निधि से अदा की गई थी वह मिश्रित निधि पर उचित प्रभार नहीं था । उक्त 344/=रुपये की राशि दोषी व्यक्तियों से वसूल करके मिश्रित निधि में जमा करवाया जाये ।

य॥ वा0 सं0 14/3 दि0 24.3.92 मु0 4000.00
" 1/4 दि0 2.4.92 मु0 3000.00

श्री सुन्दर सिंह अध्यापक को 7000/=रुपये की राशि महाविद्यालय के फरनीचर की मुरम्मत करवाने हेतु अदा किये गये थे जिसमें से 6754/=रुपये की राशि व्यय की गई थी शेष बची 246/=रुपये की राशि उक्त प्राध्यापक द्वारा दिनांक 26.11.92 को जमा करवा दी गई थी लेकिन व्यय के वाउचरों का संपरीक्षण करते समय देखा गया कि मिस्त्री तथा हैल्पर को अदा किये गये दैनिक दरों की अदायगी अधिक की गई प्रतीत होती है इसके अतिरिक्त जिलाधीश सिरमौर द्वारा वर्ष 1992 के लिए निर्धारित दरों की सूचि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई तथा मिस्त्री तथा हैल्पर का नाम व उन के पिता का नाम भी नहीं दिखाया गया था जो कि गम्भीर अनियमितता है:-

	मिस्त्री का नाम व पता	अवधि	दर	दिन	राशि
1.	मिस्त्री का नाम तथा पिता का नाम व नहीं दिया गया था केवल मुहल्ला गांवों नाहन था।	22.3.92 से 14/4/92	80/=	24दिन	1920.00
2.	हैल्पर---यथोपरि--	--यथोपरि--	40/=	24दिन	960.00
				जोड़ =	2880.00

शेष आगे पृष्ठ 26 पर.......

उपरोक्त मिस्त्री तथा हैल्पर को किये गये मु02880/=रुपये की राशि का भुगतान सन्देह जनक प्रतीत होता है वांछित अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर दिखाए जायें अन्यथा इस राशि को दोषी व्यक्ति से वसूल करके निधि में जमा करवाया जाये ।

7) वा0 सं0 16/11 दि0 18.11.92 मु0 1850.00
" 11/12 दि0 10.12.93 मु0 1900.00
" 19/12 दि0 31.12.93 मु0 1900.00

मै0 मिनी ट्रेवलरज, विकास नगर, देहरादून से नाहन से मसूरी तक शिक्षा प्रवास पर जाने हेतु इस एजैन्सी की बस नं0 यू0 पी0 07-5331 को किराये के रूप में 3700/=रु0,3800/=रुपये तथा 3800 रु0 की राशि जिसमें से मु0 1850/=, 1900/=रुपये तथा 1900/=रुपये की राशि मिश्रित निधि से अदा की गई थी शेष 50/=प्रतिशत का भाग छात्रों द्वारा अदा किया गया था लेकिन लेखा संपरीक्षण के समय देखा गया कि हि0 पथ परिवहन निगम नाहन द्वारा अपने पत्र संख्या टी,डी, 3-2/92-93-7064 दि0 24.9.92 द्वारा नाहन से मसूरी तक पूरी गाड़ी का किराया मु0 3491/=रुपये दिखाया गया था जिसका 50 प्रतिशत जो कि निधि से से अदा किया जाना था मु0 1745/=रुपये बनता था इस प्रकार पहले प्रवास पर 1850-1745=105 तथा दूसरे दोनो प्रवासों पर मु0 155/=155/= रुपये अधिक अदा किये गये है इस प्रकार कुल मिला कर 415/=रुपये की राशि मिश्रित निधि से अधिक अदा की गई थी जिसे दोषी व्यक्ति से वसूल करके निधि में जमा करवाया जाए तथा हि0 पथ परिवहन निगम से NOC न लेने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व प्राईवेट बस को किराये के रूप में शिक्षा प्रवास पर ले जाने के कारण भी बताए जायें तथा प्राईवेट बस को किराये पर ले जाने हेतु सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित कराया जाये व अगले अंकेक्षण पर दिखाए जाये ।

8) वा0 सं0 20/4 दि0 18.4.92 मु0 24000/=

मैसर्ज चन्द्रा ट्रेवलिंग ऐजन्ट, देहरादून को शिक्षा प्रवास नाहन से काठमाण्डू तक जाने हेतु उक्त एजैन्ट की बस नं0 यू0 एम0 एम0 8673 को किराये पर ले जाने हेतु मु0 24,000/=रुपये की राशि अदा की गई थी जिसमें से 12000/= रुपये की राशि मिश्रित निधि से वा0 सं0 12/11 दि0 19.11.91 निकाली गई थी शेष 12000/=रुपये की राशि छात्रों द्वारा अपना 50 प्रतिशत भाग के रूप में अदा की गई थी । उक्त व्यय पर निम्नलिखित आपत्तियाँ पाई गई ।

लगातार पृष्ठ 27 पर........

1. शिक्षा प्रवास दिनांक 20.11.91 से 27.11.91 के दौरान किया गया था जिसमें 30 छात्रों 2 प्राध्यापकों तथा उनके 2 परिवार के सदस्यों व एक चपड़ासी ने भाग लिया था लेकिन छात्रों के नामों की सूची लेखा परीक्षा में नहीं दिखाई गई । इसके अतिरिक्त व्यय सम्बन्धि वाउचरों का लेखा परीक्षा करते समय देखा गया कि मु0 24000/=रुपये की राशि 35 व्यक्तियों पर खर्च की गई दिखाई थी जिसमें उक्त दोनो पारिवारिक सदस्यों को खर्चा भी शामिल था जो कि मु0 1371.40 बनता था , जो कि वास्तव में देय नहीं था इस तरह अनुचित ढंग से व्यय की गई 1371.40 रुपये की राशि को अब सम्बन्धित प्राध्यापको से वसूल करके निधि में जमा करवाया जाये । व इस विभाग को अनुपालना से अवगत किया जाये । इस व्यय पर निम्नलिखित अन्य आपत्तियें भी पाई गई है :-

1. हिमाचल पथ परिवहन निगम से व हिमाचल टूरिजम कारपोरेशन से न लेने के कारण भी नहीं बताये गए ।

2. उक्त प्रवास का प्रमाणित हेतू काठमाण्डू में ठहरने का भी कोई प्रमाण समायोजन खाते के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया । अत: समस्त अभिलेख अगले अंकेक्षण पर आवश्यक जांच हेतु प्रस्तुत किये जायें ।

3. देश से बाहर प्रवास पर जाने हेतू हिमाचल सरकार से स्वीकृति तो नही ली गई थी लेकिन उक्त दोनों लेक्चरारों को मु0 520/=रुपये की राशि प्रति लेक्चरार 260/=रुपये दैनिक भत्ता के रुप मे अदा कर दी गई थी, वास्तव में देय नहीं थी । उक्त राशि को दोषी व्यक्तियों से वसूल करके तुरन्त निधि में जमा करवाया जाए । यह एक गम्भीर मामला है जिसे शिक्षा निदेशक ??? हिमाचल प्रदेश से समक्ष उचित कार्यवाही हेतु लाया जाता है ।

ब) <u>वा0 सं0 8/2 दिनांक 4.2.93 मु0 2102.00रुपये</u>

दिनांक 9.1.93 से 22.1.93 तक नाहन से गोवा तक शिक्षा प्रवास पर जाने हेतू मु0 2102/=रुपये की राशि खर्च की गई थी जिस पर निम्नलिखित आपत्तियां पाई गई ।

1. नाहन से गोवा तक जाते समय 15 छात्रों द्वारा यात्रा की गई दिखाई थी लेकिन वापसी पर केवल 13 छात्रों की यात्रा दिखाई गई थी जो कि सन्देह जनक प्रतीत होती है इसका औचित्य स्पष्ट किया जाये ऐसा प्रतीत होता है कि वास्तव में 13 ही छात्रों ने शिक्षा प्रवास में भाग लिया गया था इस प्रकार 2 व्यक्तियों को अधिक अदा की गई राशि की गणना करके निधि में डाला जाए ।

लगातार पृष्ठ 28 पर....

2. उक्त शिक्षा प्रवास पर जाने हेतु किसी भी लेक्चरर की नियुक्ति नहीं की गई थी जबकि उक्त शिक्षा प्रवास स्वंय छात्रों द्वारा ही किया गया जबकि शिक्षा संहिता के नियम 135 के नीचे दिये गये नोट के अनुसार कोई शिक्षा प्रवास तब तक मान्य नहीं माना जाएगा जब तक कि छात्रों के साथ किसी जिम्मेदार प्राध्यापक या अन्य अधिकारी को नियुक्त नहीं किया जाता।इस प्रकार इस प्रवास को शिक्षा प्रवास नहीं माना जा सकता अत: उक्त प्रवास पर मिश्रित निधि से व्यय की गई राशि को दोषियों से वसूल करके निधि में जमा कराया जाए । क्योंकि समायोजन के बारे के व्यय के वाउचरों का लेखा परीक्षा करते समय यह पाया गया कि उक्त व्यय का लेखा जोखा श्री दिनेश गुलार बी०एस० सी० -III के छात्र द्वारा प्रस्तुत किया गया था ।

3) वा० सं० 11/12 दि० 10.12.93 मु० 5500.00

मैसर्ज कन्हैया लाल टंडन, विकास नगर देहरादून को नाहन से कसौली तक शिक्षा प्रवास पर जाने हेतु 5500/=रुपये की राशि अदा की गई थी जिसमें से मु० 2750/=रुपये की राशि मिश्रित निधि से तथा 2750/=रुपये की राशि छात्रों से 50 प्रतिशत का भाग प्राप्त करने पर अदा की गई थी इस प्रवास पर कुल 42 छात्रों ने भाग लिया गया था हिमाचल पथ परिवहन निगम नाहन द्वारा दिनांक 27.11.93 द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र के अनुसार 52 सीटर गाड़ी का नाहन से कसौली तथा वापसी का किराया मु0 5613/=रुपये दर्शाया गया था जबकि 42 सीटर गाड़ी का किराया 5500/=रुपये अदा किया गया जो कि अधिक था क्योंकि 52 सीटर गाड़ी का अनुपातिक कम होना था जो कि मु0 4533/= रुपये बनता था इस प्रकार मु0 967/=रुपये की राशि अधिक अदा की गई थी इस प्रकार मिश्रित निधि 484/=रुपये की राशि अधिक अदा की गई थी जिसे दोषी व्यक्ति से वसूल करके निधि में जमा कराया जाए व हि0 पथ परिवहन निगम से NOC ना लेने के कारण भी बताए जायें ।

4) वा० सं० 21/10 दि० 28.10.91 मु० 2060.00
वा० सं० शून्य दि० 6.6.92 मु० 2600.00
1) " " " दि० 25.6.92 मु० 3450.00

श्री पी० एन० शर्मा को वर्ष,91 में यू० जी० सी० की परीक्षाओं के सभांलने हेतु मु0 2060/=रुपये की राशि अदा की गई थी जिसमें से 1979.50 रुपये की राशि व्यय की गई थी शेष बची 80/50रुपये की राशि 5 मास की अवधि के बाद दि० 28.3.92 को जमा कराई गई उक्त 1979.50रुपये की व्यय की गई थी

लगातार पृष्ठ 29 पर.....

राशि मे से विश्वविद्यालय द्वारा मु0 1674/=रुपये की राशि की ही प्रतिपूर्ति की गई इस प्रकार 305.50रुपये की राशि की कम प्रतिपूर्ति की गई जिसकी वि विश्वविद्यालय से अनुसरण करते हुए प्रतिपूर्ति की जाए अन्यथा ~~इसी प्रकार 2600/=रुपये तथा 3450/=~~ अनियमित व्यय की परिस्थिति में 305.50 रुपये का दोषी व्यक्ति से आवश्यक वसूली की जाए। इसी प्रकार 2600/=रुपये की राशि तथा 3450/=रुपये की राशि में से मु0 2291.00 तथा 3034/=रुपये की राशि परिक्षाओं के संचालन पर व्यय की गई थी शेष बची मु0 309/=रुपये तथा 416/=रुपये की राशियों को 7 मास तथा 8 मास की अवधि के बाद क्रमशः दिनांक 23.2.93 तथा 20.2.93 को देरी से जमा कराया गया उपरोक्त के अतिरिक्त श्री पी.एन.शर्मा द्वारा व्यय की गई धन राशियां 2291/=रुपये तथा 3034/= में से मु0 1936/=रुपये की राशि ही हि0 प्र0 विश्वविद्यालय शिमला द्वारा प्रतिपूर्ति की गई जबकि मु0 3034/=रुपये के व्यय की पूर्ण रूप से प्रतिपूर्ति कर दी गई थी इस प्रकार 2291/=में से 356/= रुपये की राशि की कम प्रतिपूर्ति की गई। इस प्रकार 660.50रुपये की विश्वविद्यालय द्वारा जो कम प्रतिपूर्ति की गई थी, उसे विश्वविद्यालय से अब प्राप्त किया जाए अन्यथा अनियमित व्यय की परिस्थिति में 660.50रुपये की राशि को दोषी व्यक्ति से वसूल करके तुरन्त निश्चित निधि में जमा करवाया जाए व अनुपालना से इस विभाग को यथासमय अवगत किया जाए।

2. वा0 सं0 शून्य दि0 18.11.92 मु0 2057/=

कुमारी निर्मल विशष्ट को यू0 जी0 की परीक्षाओं का संचालन करने हेतु मु0 2057/=रुपये की राशि अदा की गई थी जिसमें से कुमारी निर्मल द्वारा 2017/=रुपये की राशि व्यय की गई थी शेष बची 40/=रुपये की राशि निर्मल द्वारा दिनांक 21.2.94 को एक वर्ष की अवधि के पश्चात वापिस जमा किया गया। इसके अतिरिक्त 2017/=रुपये की राशि जो कि व्यय की गई थी के एवज में मु0 1901/=रुपये की राशि की विश्वविद्यालय द्वारा प्रतिपूर्ति की गई इस प्रकार 116/=रुपये की राशि कम वसूल की गई जिसे विश्वविद्यालय से अन्यथा दोषी व्यक्ति से वसूल करके निधि में जमा करवाया जाए।

स8 अग्रिम धन राशियों का देरी से समायोजन करना व शेष बची धन राशियों को देरी से जमा करना।

1. नीचे दर्शाए गए समायोजन खातों का संपरीक्षण करते समय देखा गया कि अग्रिम धन के रूप में प्रदान की गई धन राशियों के समायोजन व्यय करने में

लगातार पृष्ठ 30 पर.....

समय पर कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किये जाते रहे तथा शेष बची राशियों को भी देरी से निधि में जमा करवाया जाता रहा जो कि अनुचित था भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता से निश्चित तौर पर परिहार किया जाए ।

अग्रिम प्राप्त देने की तिथि	समायोजन वा0 सं0 व दिनांक		व्यक्ति का नाम	व्यय	अन्तिम व्यय	शेषराशि	जमा करने की तिथि	देरी की अवधि
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
.11.89 .2.90	4/5 दि0 7.5.91 —यथोपरि	500.00 500.00	श्री पी.एन.शर्मा "	409.00 455.00	27 1/90 72.70 (7-2-90)	91.00 45.00	5 4/90 3 3/90	2मास 1मास
.3.91	19/5 दि07-5.92	1000.00	श्री एम.एम. चन्दना	419.00	26 3/91	581.00	3 5/91	1मास से ज्यादा
.2.90	2/12 दि026 2/92	2000.00	" ए0 आर वर्मा	1224.00	4 2/91	776.00	18 12/91	10 1/2 मास
.11.92	--शुन्य---	495.00	" ओ एन सेठी	345.00	30 11/92	150.00	10 2/93	2मास
.11.92	--शुन्य---	475.00	" " "	249.00	30 11/92	223.00	28 2/93	2 1/2 मास
.11.92	—शुन्य--	24000.00	श्री जे.आर वर्मा तोमर	17402.00	24 11/92	6598.00	12 12/92	17 दिन
.2.92	—शुन्य---	2075.00	श्री ओ एन सेठी	1880.00	26 2/92	195.00	14 12/92	2मास

ह) वा0 सं0 6/6 दिनांक 25.6.92 मु0 466.00रुपये

हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड नाहन को बिजली का मीटर लगाने हेतु मु0 466/=रुपये की राशि मिश्रित निधि से अदा की गई थी जो कि निधि पर उचित प्रभार नहीं था उक्त व्यय को उचित स्त्रोतों से वसूल करके निधि में जमा करवाया जाए ।

क्ष) वा0 सं0 4/8 दि0 5.8.89 मु0 803.00रुपये

श्री सन्तोष कुमार प्रधानाचार्य को शिमला में दिनांक 26.7.89 को स्पोर्ट कौन्सील की वार्तालाप में भाग लेने हेतु 803/-रुपये की राशि यात्रा भत्ता के रुप में मिश्रित निधि पर से अदा की गई थी जो कि निधि पर उचित प्रभार नहीं था इसके अतिरिक्त प्रधानाचार्य द्वारा नाहन से शिमला की यात्रा कार द्वारा की गई जिस के मु0 675/=रुपये की राशि अदा की थी जिस के लिए वह सक्षम नहीं थे इसलिये अनुचित ढंग से व्यय की गई पूर्ण राशि को दोषी व्यक्ति से वसूल करके निधि में जमा करवाया जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए ।

लगातार पृष्ठ 31 पर......

ञ) वा0 सं0 5/7 दि0 22.7.93 मु0 2420/=रुपये

दी ट्रिब्युन पब्लिशर, चण्डीगढ़ को राजकीय महाविद्यालय में एम0ए0 की कक्षाओं के संचालन हेतु विज्ञापन करवाने हेतु मु0 2420/=रुपये की राशि अदा की गई थी जबकि हिमाचल प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव के आदेश संख्या जी0ए0डी0(डी0) (ए)7-9/76 जिसे शिक्षा निदेशक शिमला ने अपने पत्र सं0 ई0डी0एन0-एच0(7)6-21/77 -जी0ई0डी0पी0 vol -III दिनांक 21.11.80 द्वारा परिचालित किया था जिसमें यह आदेश दिये थे कि विज्ञापनों पर पूर्ण प्रतिबन्ध है लेकिन प्रधानाचार्य राजकीय महाविद्यालय नाहन द्वारा सरकार के आदेशों की अवहेलना करके विज्ञापनों पर उक्त 2420/=रुपये की राशि व्यय की गई थी जो कि अनुचित था उक्त व्यय की सरकार की स्वीकृति से नियमित कराया जाए अन्यथा इस राशि को दोषी व्यक्ति से वसूल करके तुरन्त निधि मे जमा कराया जाए ।

ट) वा0 सं0 1/11 दि0 16.11.91 मु0 5849.00
" 2/11 दि0 16.11.91 मु0 3506.00
" 3/11 दि0 16.11.91 मु0 3223.00

मैसर्ज सुरेन्द्रा इलैक्ट्रीकल एण्ड जनरल स्टोर, नाहन को निम्नलिखित विवरणानुसार विभिन्न प्रकार के सामान के क्रय करने तथा सामान की मुरम्मत करने पर मु0 12578/=रुपये की राशि मिश्रित निधि से व्यय की गई थी जो कि निधि पर उचित प्रभार नहीं था उक्त सामान के क्रय /व्यय करने का मिश्रित निधि से करने का औचित्य स्पस्ट किया जाए व उक्त राशि को उचित स्त्रोतों से वसूल करके निधि में जमा कराया जाए ।

फर्मका बिल व दिनांक	वस्तुओं का नाम	राशि
316 दि0 18.10.91	15 पंखो की मुरम्मत प्रति 40/=की दर से 24 नं0 वायरिंग तथा स्वीचबोर्ड	800.00
312 दि0 18.10.91	4 पंखों की मुरम्मत प्रति 90/-की दर से 4 नं0 लाईट पोआईंट ।	764.00 413.00
315 दि0 18.10.91	2 नं0 ट्युब तथा अन्य सामान	2204.00
309 दि0 18.10.91	विभिन्न प्रकार का बिजली का सामान	715.00
310 से 311 दि0 18.10.91	---- यथोपरि ----	
306 से 308, 317, 319 तथा 320 दि0 18.10.91 तथा 29.11.91	---- यथोपरि ----	7682.00

योग= 12578.00

लगातार पृष्ठ 32 पर.......

इसके अतिरिक्त उपरोक्त किए गए व्यय पर निम्नलिखित अन्य आपत्तियाँ भी पाई गई है इन अनियमितताओं का शीघ्र निपटारा करके अनुपालना से अगले अंकेक्षण पर सूचित किया जाए ।

1. बिल सं0 316 व 312 दि0 18.10.91 के द्वारा मुरम्मत करवाए गए पंखों की अलग -2 की दर से मुरम्मत करवाए गए थे जबकि पंखों का साईज भी एक जैसा था पहले मुरम्मत किये गए पंखों के 40/=रुपये की दर से तथा दूसरी बार 90/=रुपये की दर से अदा की गई थी इस प्रकार 4 पंखों की 50/=रुपये प्रति पंखा अधिक मुरम्मत के रूप में भुगतान करने पर (रुपये की राशि अधिक व्यय) की गई जिस बारे आगामी अंकेक्षण में ठोस तथ्यों सहित औचित्य स्पष्ट किया जाए ।

2. उपरोक्त क्रय किये गये सामान को कहां-2 पर लगाया गया था, का विवरण लेखा परीक्षा में नहीं दिखाया गया, जिसकी अनुपस्थिति में उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी अतः अगले अंकेक्षण में अभिलेख सहित स्थिति स्पष्ट की जाए ।

3. भाव दरें मैसर्ज सुरेन्द्रा इलैक्ट्रीकल एण्ड जनरल स्टोर नाहन (2) सुरेन्द्र लाल एण्ड सन्ज नाहन तथा तीसरी सैनी फैन्सी स्टोर नाहन से औपचारिकता-वश दस्ती प्राप्त की गई थी लेकिन भाव दरों के अवलोकन करने पर यह पाया गया कि अन्तिम दोनों फर्में बिजली के सामान का लेन देन ही नहीं करती थी इस बारे आवश्यक छानबीन के उपरान्त अंकेक्षण को वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए।

(ङ) <u>वा0 सं0 4/11 दिनांक 13.11.91 मु0 14000/=रुपये</u>

1. मैसर्ज मुक्ता प्रिन्टर अम्बाला कैन्ट, हरियाणा को मु0 14000/=रुपये की राशि कालिज मैगजीनों के मुद्रण हेतु मिश्रित निधि से अदा की गई थी चूंकि वर्ष 1990-91 की मैगजीन निधि की आय की 13425/=रुपये को मिश्रित निधि निधि में जमा कराया गया था जबकि मुद्रण पर व्यय 14000/=रुपये का किया गया था इस प्रकार से 575/=रुपये की राशि मिश्रित निधि से अनुचित ढंग से व्यय की गई थी जिसे मैगजीन निधि से अब वसूल करके मिश्रित निधि में जमा करवाया जाए तथा 14000/=रुपये की भुगतान प्राप्त रसीद भी सम्बन्धित फर्म से प्राप्त करके अगले अंकेक्षण पर दिखाई जाए ।

(ङ)(2) <u>एस0सी0ए0 चुनाव पर जलपान के व्यय बारे</u>

निम्नलिखित विवरणानुसार मु0 6050.95 रुपये की राशि एस0सी0 ए0 चुनाव पर जलपान के रूप में खर्च की गई थी जो कि निधि पर उचित

लगातार पृष्ठ 33 पर.....

प्रभार नहीं था उक्त 6050/95 रुपये की राशि को उचित स्त्रोत से वसूल करके निधि में वापिस जमा करवाया जाए ।

1.	वा0 सं0 2/4 दि0 23.4.91	मु0 342.50
2.	" 16/10 दि0 19.10.91	मु0 103.00
3.	" 41/11 दि0 30.11.91	मु0 926.00
4.	" 20/12 दि0 26.12.91	मु0 400.00
5.	" 8/12 दि0 10.12.92	मु0 065.00
6.	" 1/2 दि0 3.2.93	मु0 066.00
7.	" 13/2 दि0 27.2.93	मु0 1673.00
8.	" 7/12 दि0 9.12.93	मु0 119.00
9.	" 4/8 दि0 23.8.93	मु0 077.00
10.	" 17/12 दि0 22.12.93	मु0 450.00
11.	" 30/12 दि0 31.12.93	मु0 1829.45
		6050.95

इसके अतिरिक्त उक्त व्यय का लेखा परीक्षण करते समय देखा गया कि वाउचर सं0 17/12 दि0 22.12.93 जो कि क्रम सं0 10 पर दिखाया गया है, विभिन्न तिथियों को मु0 420/=रुपयेकी राशि व्यय की गई थी जबकि वोचर मे व्यय की राशि 450/=रुपये की दिखाई गई थी इस प्रकार 30/=रुपये की राशि अधिक भुगतान की गई थी , जिसे दोषी से वसूल करके निधि में जमा किया जाए ।

दिनांक	राशि
20.11.93	13.00
27.11.93	06.00
6.12.93	14.00
14.12.93	20.00
16.12.93	360.00
15.12.93	04.00
21.12.93	03.00
योग=	420.00

लगातार पृष्ठ 34 पर.......

ङ§3§ वा० सं० 2/8 दि० 3.6.89 मु० 520/=रुपये

श्री इकबाल सिंह निवासी नाहन को कालिज भवन के आर्ट ब्लाक से कालिज होस्टल§शमशेर विल्ला § तक लकड़ी का सामान तथा अन्य सामग्री को ले जाने तथा उतारने व चढ़ाने के मु० 520/=रुपये की राशि मिश्रित निधि से अदा की गई थी लेकिन सामान का वजन व नगर पालिका द्वारा स्थानीय निर्धारित की गई दरों की प्रति लेखा परीक्षा में नहीं दिखाई गई जिसकी अनुपस्थिति में भुगतान के अधिक होने की सम्भावना प्रतीत होती है उक्त वांछित अभिलेख ~~आगामी~~ आगामी अंकेक्षण पर आवश्यक जांच हेतु प्रे प्रस्तुत किये जाएं।

ङ§4§ वा० सं० ~~नि~~ 4/6 दि० 17.6.87 मु० 2714/=रुपये

मैसर्ज पवन कुमार एण्ड कम्पनी नाहन को 1000 कालिज की विवरण प पत्रिकाऐं तथा 500 दाखला फार्म के मुद्रण करवाने हेतु 2714/=रुपये की राशि मिश्रित निधि से अदा की गई थी लेकिन उक्त मुद्रण हेतु भाव दरें आमान्त्रित नहीं की गई जिनकी अनुपस्थिति में भुगतान के अधिक होने की सम्भावना प्रतीत होती है खुले बाजार से भाव दरों की ~~ये किसये~~ संविदाए प्राप्त न करने बारे अंकेक्षण को औचित्य स्पष्ट किया जाए।

ङ§5§ 1§मिश्रित निधि की कैश बुक का दिनांक 27.6.87 को पृ० सं० 300 पर आय का जोड़ 25282/=रुपये बनता था जबकि जोड़ की राशि 25252/=रुपये की दिखाई गई थी इस प्रकार 30/= रुपये राशि गणना में कम की गई, जिसे अब ~~जोकि~~ अब सही कर दिया जाए।

2. दि० 24.6.87 को मिश्रित निधि की कैश बुक पृ० सं० 300 पर रसीद सं० 212033-212046 तक छात्रों से मु० 1887/=रुपये राशि निधियों की वसूल की गई थी जिसे कैश बुक में आय की तरफ लिया गया था लेकिन इस राशि को बैंक में जमा नहीं करवाया गया था चूंकि बैंक पास बुक संपरीक्षण करते समय उक्त धन की जमा की पुष्टि पास बुक में नहीं दिखाई गई जिसे अब बैंक में ब्याज सहित जमा करवाया जाए।

3. दिनांक 11.7.89 को 3522/=रुपये की राशि छात्रों से मिश्रित निधि में की वसूल की गई थी जिसे बैंक स्करोल के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक नाहन में बचत खाता संख्या सी -1-25 में दिनांक 12.7.89 को जमा की गई थी लेकिन इसका जमा का अन्दराज पास बुक में नहीं किया गया था, जिसका अब आवश्यक इन्द्राज करवाया जाए व अनुपालना से अगले अंकेक्षण को सूचित किया जाए

लगातार पृष्ठ 35 पर.......

4) दिनांक 9.3.94 को रसीद सं0 043791। से 043793 द्वारा मु0 165.95 रुपये की राशि छात्रों से मिश्रित निधि के रूप में प्राप्त की गई थी जिसे मिश्रित निधि की कैश बुक पृ0 160 पर आय की तरफ जमा किया गया दिखाया था लेकिन उक्त राशि को पास बुक में जमा नहीं करवाया गया था, जिसे अब निधि के बचत खाते में जमा करवाया जाये व जमा की पुष्टि आगामी अंकेक्षण पर करवाई जाए ।

5) दिनांक 6.7.87 को रसीद संख्या 212672-729 द्वारा मु0 6969/90 रुपये की राशि मिश्रित निधि के रूप में छात्रों से वसूल की गई थी जिसे मिश्रित निधि की तथा भवन निधि की कैश बुकों में अर्थात दोनों निधियों की कैश बुकों में आय की तरफ जमा कराया गया था जबकि उक्त 6969/90 रुपये की राशि केवल मिश्रित निधि की कैश बुक में ही जमा की जानी थी भवन निधि की कैश बुक में उक्त राशि को जमा करवाए जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाये जबकि उक्त राशि भवन निधि की पास बुक में जमा का कोई अन्दराज नहीं था । उक्त 6969/90 रुपये की राशि के भवन निधि की कैश बुक से जोड़ की राशि को अब कम किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को दिखाया जाए ।

(6) वा0 सं0 1/92 दि0 8.1.92 मु0 69640/-रुपये

1. दिनांक 8.1.92 को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला को बैंक ड्राफ्ट नं0 एम0ओ0एल0/एम0/383242 दिनांक 8.1.92 द्वारा मु0 69640/-रुपये की राशि परीक्षा शुल्क के रूप में भेजी गई थी जबकि कैश बुक में उक्त राशि के समक्ष व्यय की राशि 69880/-रुपये बुक की गई दिखाई गई थी । इस प्रकार 240/=रुपये की राशि कैश बुक में अधिक अदा की गई दिखाई थी जिसे दोषी व्यक्ति से वसूल करके निधि में जमा करवाया जाए व अनुपालना से इस विभाग को सूचित किया जाए ।

2. वा0 सं0 1/7 दि0 17.7.90 मु0 70/= रुपये

शिमला मण्डी गुड्स ट्रांसपोर्ट दी माल शिमला को उनकी जी0 आर0 सं0 98654 दि0 29.6.90 के द्वारा मु0 70/-रुपये की राशि मिश्रित निधि से अदा की गई थी लेकिन उक्त भुगतान की पुष्टि करने हेतु जी0आर0 रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसे अगले अंकेक्षण पर दिखाया जाए ।

(7) वाहन भत्ते की अदायगी करने के सन्दर्भ में ।

लेखा परीक्षण के दौरान देखा गया कि अवधि 4/87 से 3/94 तक निम्नलिखित विवरणानुसार मु0 11201/=रुपये की राशि 150/=रुपये

की दर से अदा की गई थी लेकिन उक्त भुगतान की पुष्टि करने हेतु सरकार के उन आदेशों की प्रति लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई जिनके तहद वर्दी भत्ता 75/=रुपये से बढ़ा कर 150/=रुपये कर दिया गया था उक्त भुगतान के सन्दर्भ में सरकार के आदेशों के प्रति अगले अंकेक्षण पर दिखाई जाए अन्यथा मु0 5640.50रुपये की राशि जो कि अधिक अदा की गई है उसे दोषीयों से वसूल करके निधि में जमा कराया जाए ।

क्र0 सं0 व नाम	अवधि	राशि
1. श्री एस0 सी0 प्रकाश	7/87 से 6/89	3600.00
2. " अवतार सिंह	7/89 से 13.2.90	1120.00
3. " एस0 सी0 प्रकाश	15.2.90 से 2/91	1736.00
4. " जी0 सी0 सूद	7/91 से 17.1.94	4438.00
5. " बलवीर सिंह	18.1.1994 से 31.3.94	387.00
	जोड़ =	11281.00

ङ§7§:- विभिन्न निधियों का अनियमित रूप से मिश्रित निधि में जमा करने के सन्दर्भ में ।

1. निम्नलिखित निधियों की आय की धन राशियों को अनियमित रूप से मिश्रित निधि की कैश बुक में जमा कराया गया था जबकि हिमाचल प्रदेश शिक्षा संहिता के नियमों के अनुसार प्रत्येक निधि की अलग-2 से कैश बुक व बैंक खाता खोला जाएगा लेकिन संस्था द्वारा इस ओर कोई ध्यान नही दिया गया । निधियों की धन राशियों को अलग-2 खातों में न रखने के कारण किसी भी निधि से आय से अधिक व्यय की होने की सम्भावना बनी रहती है ।

1. रैड क्रास निधि
2. अनुपस्थिति दण्ड निधि
3. एन0सी0सी0 निधि
4. परीक्षा निधि

उपरोक्त निधियों की समस्त निधि कर की आय उन अंश को अब मिश्रित निधि से निकाल कर सम्बन्धित निधियों की कैश बुक व पास बुक में जमा कराया जाए। व वांछित अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर दिखाए जाएं ।

2. मास 11/92 में रोल नं0 3313 बी0एस0सी0-1 के छात्र गुलशन से रसीद की

लगातार पृष्ठ 37 पर.......

सं0 176499 द्वारा विभिन्न निधियों के मु0 209/=रुपये की राशि वसूल की गई थी लेकिन जमा केवल 179/=रुपये ही किए गए इस प्रकार 30/=रुपये कम जमा किये गये जिसे दोषी से वसूल करके जमा करवाया जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत कराया जाए ।

3. अनियमित रुप से क्रय की गई मैगजीनो के बारे ।

निम्नलिखित विवरणानुसार मु0 469/=रुपये की राशि मैगजीनों के क्रय करने हेतु मिश्रित निधि से अदा की गई थी तथा क्रय की गई पुस्तकें लाईब्रेरी में रखी गई दिखाई थी जबकि शिक्षा निदेशक शिमला के पत्र सं0 शिक्षा एच0 (4)-3-(सी)-15/82 -बजट दिनांक 15.11.1986 द्वारा आदेश दिये गये थे कि केवल अनुमोदित पुस्तकें ही लाईब्रेरी के लिए क्रय की जा सकती है । इस प्रकार प्रधानाचार्य राजकीय महाविद्यालय द्वारा सरकार के आदेशों की अवहेलना की गई । इस बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा उक्त 469/-रुपये की राशि के व्यय को सरकार की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए अन्यथा उक्त राशि को दोषी व्यक्ति से वसूल करके निधि में जमा कराया जाए व इस विभाग को अनुपालना से अवगत कराया जाए :-

क्र0 सं0	वा0 सं0 व दिनांक	पुस्तक/मैगजीन का नाम	राशि
1.	7/19 दिनांक 16.9.91	सिरमौर दरपन	180.00
2.	14/10 दिनांक 22.10.91	दिप्तीका	70.00
3.	7/19 दिनांक 16.9.91	शक्ति तेरा रुप	100.00
4.	6/12 दिनांक 12/91	भारत और भारतीय संस्कृत	106.00
5.	3/12 दिनांक 7.12.92	घुरेश्वर महादेव	13.00
		कुल योग=	469.00

10 रैड क्रास निधि की वसूली न करने बारे

लेखा परीक्षा के समय देखा गया कि वर्ष 1987-88 से 1990-91 तक 10+1 तथा 10+2 के छात्रों से प्रवेश के समय रैड क्रास निधि 0.50 पैसे प्रति छात्र प्रतिमास की दर से यानि कि 6/=रुपये वार्षिक दर से वसूल नहीं की गई थी जबकि शिक्षा निदेशक, हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या फिन एच (19) बी-(2)-2/85 दि0 15.7.86 के अनुसार रैड क्रास फण्ड की वसूली की जानी वांछित थी इस तरह निम्न विवरणानुसार 10+1 तथा 10+2 की कक्षा

.....38 पर.........

के छात्रों से कुल 3774/-रुपये की राशि उपरोक्त अवधि के दौरान कम वसूल की गई इस तरह कम वसूल की गई राशि को दोषियों से शीघ्र वसूल करके निधि में जमा करके अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र सूचित किया जाए ।

वर्ष	कक्षा का नाम	छात्रों की सं0	दर वार्षिक	राशि
1987-88	10+1	126	6.00	756.00
"	10+2	106	6.00	636.00
1988-89	10+1	86	6.00	516.00
"	10+2	94	6.00	564.00
1989-90	10+1	62	6.00	372.00
"	10+2	64	6.00	384.00
1990-91	10+1	38	6.00	228.00
1990-91	10+2	53	6.00	318.00
			629 x6 =	3774.00

2. गृह परीक्षा निधि से अनाधिकृत रूप से मु0 1600/=रुपये की राशि के पारिश्रमिक के अदा करने के सन्दर्भ में

1. निम्नलिखित विवरणानुसार मु0 1600/=रुपये की राशि यु0 जी0 की गृह परीक्षाओं के संचालन हेतु गृह परीक्षा निधि से पारिश्रमिक के अदा किये गये थे जो कि निधि पर उचित प्रभार नहीं था उक्त व्यय की सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए अन्यथा पूर्ण राशि को दोषी व्यक्तियों से वसूल करके गृह परीक्षा निधि में जमा करवाया जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत कराया जाए :-

वा0 सं0 व दिनांक	राशि	व्यक्ति का नाम	विवरण
1/5 दिनांक 31.5.93	600.00	श्री जे.आर.तोमर	परीक्षा में नियन्त्रक का कार्य करने हेतु ।
2/5 दिनांक 31.5.93	500.00	श्री एम.आर. कंवर	उप नियन्त्रक के रूप में
3/5 दिनांक 31.5.93	500.00	पी0 एन. शर्मा	सहायक नियन्त्रक के रूप में

2. दिनांक 12/93 को गृह परीक्षा निधि की मु0 24/=रुपये की राशि की आय छात्रों से वसूल की गई थी जिसे कैश बुक में ठीक 24/=रुपये की राशि की जमा की तरफ जमा की गई थी लेकिन पास बुक में यह राशि 21/=रुपये की जमा ...... पर.........

गई राशि इस प्रकार पास बुक में 3/=रुपये कम जमा किये गये जिन्हें अब जमा करके अनुपालना से इस विभाग को सूचित करें ।

3. ब्याज का कैश बुक में ना लगाने बारे :- गृह परीक्षा निधि की जमा धन राशियों पर बैंक द्वारा नियमानुसार ब्याज लगाया गया था जिसे निधि की कैश बुक में आय की तरफ लिया जाए व अनुपालना अगले अंकेक्षण में अभिलेख सहित सत्यापनार्थ प्रस्तुत करें ।

दि०	राशि
7.12.91	124.00
9.3.92	106.00
10.9.92	292.00
10.9.93	400.00

उपरोक्त के अतिरिक्त वर्ष 1994 के लिए ब्याज नहीं लगाया गया था जिसे अब बैंक से प्राप्त करके तदानुसार निधि की कैश बुक में भी आय की तरफ दिखाया जाए व अनुपालना आगामी अंकेक्षण पर दिखाई जाए ।

12. **स्पोर्टस फण्ड :-**

दिनांक 21.6.87 को आय रजिस्टर के अनुसार स्पोर्ट फण्ड की छात्रों से वसूल की गई धन राशि का जोड़ 50/=रुपये बनता था जबकि जोड़ में उक्त 50/=रुपये की राशि केवल 05/=रुपये दिखाई गई थी इस प्रकार 45/=रुपये की राशि कम जमा करवाई गई थी जिसे दोषी व्यक्ति से वसूल करके तुरन्त निधि में जमा कराया जाए व इस विभाग को अनुपालना से यथासमय अवगत कराया जाए ।

13. **स्वास्थ्य निधि.-** स्वास्थ्य निधि की कैश बुक का संपरीक्षण करते समय देखा गया कि नियमानुसार ब्याज की राशि जो कि बैंक द्वारा लगाई गई थी कैश बुक में आय की तरफ नहीं दिखाया गया जिसे अब कैश बुक में लिया जाए व आगामी अंकेक्षण पर इसकी पुष्टि कराई जाए ।

दिनांक	राशि
7.12.91	81.00
9.3.92	65.00
10.9.92	181.00
10.9.93	388.00

इसके अतिरिक्त वर्ष, 1994 के लिए बैंक से ब्याज प्राप्त नहीं किया गया था जिसे अब प्राप्त करके कैश बुक में भी आय की तरफ लिया जाए ।

क्रमशः पृष्ठ 40 पर.........

14. लाईब्रेरी निधि :-

1. दिनांक 27.6.87 के लाईब्रेरी निधि की आय का जोड़ 600/=रुपये बनता था जबकि जोड़ की राशि मु0 575/=रुपये दिखाई गई थी इस प्रकार 25/=रुपये की राशि कम जोड़ दी गई जिसे अब गणना में लिया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर दिखाई जाए ।

2. वा उचर संख्या 1/10 दिनांक 11.10.89 मु0 30/=रुपये की राशि श्री परवीज अहमद को लाईब्रेरी की सिक्योरिटी वापिस की गई थी लेकिन उक्त छात्र से मु0 3.50+5=8.50 रुपये की राशि जुर्माना निधि की वसूली की जानी थी यह राशि वर्ष 7 व 8/89 मास की शेष थी जिसे लाईब्रेरी सिक्योरिटी का अन्तिम भुगतान करते समय वसूल किया जा सकता था लेकिन ऐसा नहीं किया गया । उक्त 8/50 रुपये की राशि को अब दोषी से वसूल करके जुर्माना निधि में करवाया जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करें

3. ब्याज का शेष बुक न लगाने बारे :- डाकघर के बचत खाते सं0 741949 में जमा की गई लाईब्रेरी सिक्योरिटी की धन राशि पर जो ब्याज की राशि निम्नलिखित विवरणानुसार डाकघर से प्राप्त की गई थी उसे कैश बुक में नहीं लिया गया था ब्याज की राशि को अब कैश बुक में आय की तरफ लिया जाए व अनुपालना अगले अंकेक्षण में दिखाई जाए ।

दिनांक	ब्याज की राशि	वर्ष
7.7.87	1551.05	1984-85
7.7.87	2030.15	1985-86
7.7.87	3527.35	1986-87
15.7.88	2456.85	1987-88
25.4.89	2949.90	1988-89
20.7.90	3202.40	1989-90
20.4.91	3967.40	1990-91
14.5.92	4362.00	1991-92

इसके अतिरिक्त उपरोक्त लाईब्रेरी का खाता मास 7/91 से बन्द कर दिया गया तथा लाईब्रेरी की पूर्ण प्राप्त आय की राशि को पि0 पु0 स्टेट को0 ओ0 बैंक नाहन के खाता सं0 7041 के अन्तर्गत रखा गया था लेकिन खाता सं0 741949 अभी तक 411-35 रुपये की राशि शेष पड़ी थी जिसे उक्त खाते से निकाल कर इस राशि को खाता सं0 7041 में जमा कराया जाए ....

लगातार पृष्ठ 41 पर.......

इसके अतिरिक्त बैंक द्वारा नियमानुसार जो ब्याज की राशि खाता सं0 7041 में लगाई गई थी उसे भी कैश बुक में आय की तरफ नहीं लिया गया था जिसे अब लिया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को सूचित करें ।

दिनांक	ब्याज की राशि
7.12.91	394.00
9.7.92	325.00
10.9.92	1815.00
10.9.93	4199.00

उपरोक्त के अतिरिक्त वर्ष 1994 के लिए ब्याज की राशि बैंक से प्राप्त नहीं की गई थी जिसे अब प्राप्त करके कैश बुक में जमा का अन्दराज किया जाए।

3) वा0 सं0 1/8 दिनांक 17.8.92 मु0 1770.00 रुपये
" 1/9 दिनांक 17.9.92 मु0 905.00
" 1/3 दिनांक 24.3.92 मु0 25.00
" 49 दिनांक 15.6.87 मु0 25.00
" 86 दिनांक 16.6.87 मु0 25.00
" 22/8 दिनांक 17.8.91 मु0 25.00

योग= 2775.00

उपरोक्त वाउचरों द्वारा मु0 2775/=रुपये की राशि विभिन्न छात्रों को लाईब्रेरी का भुगतान किया गया था लेकिन निम्नलिखित विवरणानुसार मु0 695/=रुपये की राशि के भुगतान प्रमाणिकता की करने हेतु भुगतान करने वाले छात्रों की धन प्राप्ती की रसीदें लेख परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई थी तथा शेष अन्य के मामलों में रसीदों की पुष्टि कर ली गई थी उक्त 695/-रुपये की राशि की प्राप्ती रसीदें अब प्राप्त करके अगले अंकेक्षण पर प्रस्तुत की जाए अन्यथा उक्त 695/=रुपये की राशि को दोषी व्यक्ति से वसूल करके निधि में जमा कराया जाए :-

छात्र का नाम	कक्षा	रोल नं0	राशि
मधु राजपुर	बी0ए0-III	917	30.00
राजीदा	"	971	30.00
सुमेश चन्द	"	1034	30.00
बस्ती राम	"	1024	30.00

लगातार पृष्ठ 42 पर.........

दौलत राम	बी0 ए0-III	1009	30.00
पूर्णिमा जोशी	बी.एस.सी.-III	2803	25.00
समीक्षा अग्रवाल	"	2809	25.00
शुभरा सुवरवाल	XII	256	30.00
प्रशांत	बी.एस.सी-I	2322	30.00
सीमा गौतम	बी.ए.-III	933	30.00
लियाकत अलि	"	1011	30.00
श्यामा अग्रवाल	"	964	25.00
रमा अग्रवाल	"	946	25.00
दिनेश कुमार	बी0ए0-I	551	50
			योग=420.00
हिमनी	बी0ए0-III	940	30.00
वालर राम	"	1036	30.00
रविन्द्र सिंह	"	1021	30.00
पेत राम नेगी	बी0एस0सी0-III	2905	25.00
अजित कुमार	बी0ए0-III	1059	30.00
कृष्ण प्रकाश नेगी	बी0ए0III	1015	30.00
जय गोपाल शर्मा	बी.एस.सी.-III	2232	25.00
कुसम लता	"	2226	25.00
सुमिता कुमारी	बी.ए.-III	1552	25.00
रवि शर्मा	10+1	956	25.00
			कुल योग=695.00

4. वा0 सं0 2/7 दिनांक 30.7.93 मु0 50/=रुपये की राशि श्री सुमन कुमार को कैश बुक की दिनांक 30.7.93 के अनुसार अदा किये गये थे लेकिन उक्त भुगतान के वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसे अगले अंकेक्षण पर प्रस्तुत किया ~~गया है~~ जाए ताकि भुगतान प्राप्त कर्ता की ~~धन~~ की प्राप्ती की पुष्टि की जा सके अन्यथा उक्त राशि को दोषी से वसूल करके निधि में जमा कराया जाए ।

5. लाईब्रेरी सिक्योरिटी को वापिस करने बारे

लाईब्रेरी सिक्योरिटी की सूचि उन मामलों में लेखा परीक्षा में प्रस्तुत"

लगातार पृष्ठ 43 पर..........

नहीं की गई जिनकी सिक्योरिटी एक वर्ष बाद या निर्धारित अवधि के बाद व्यपगत (Lapsed) हो गई थी जिसे अब तैयार करके अगले अंकेक्षण पर आवश्यक जांच हेतु प्रस्तुत किया जाए ।

6. वा0 सं0 2/8 दिनांक 20.8.92 मु0 765/=रुपये

चैक सं0 ~~144404~~ 144404 दिनांक 20.8.92 द्वारा मु0 765/= रुपये की राशि लाईब्रेरी सिक्योरिटी की छात्रों में वितरण करने हेतु निकाली गई थी लेकिन उक्त 765/=रुपये की राशि में से मु0 745/=रुपये की राशि ही वितरित की गई थी शेष 20/=रुपये की राशि को वापिस लाईब्रेरी सिक्योरिटी में जमा नहीं करवाया गया था जिसे अब वापिस जमा करवाया जाए । इसी प्रकार दिनांक 5.8.1989 तथा 11.4.89 को चैक संख्या 371452 तथा 371453 द्वारा क्रमशः 2100/=रुपये तथा 4975/=रुपये की राशि लाईब्रेरी सिक्योरिटी की बैंक से निकाली गई थी लेकिन उक्त धन राशियाँ किन-2 छात्रों में वितरित की गई, का विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जो कि एक गम्भीर अनियमितता है । उक्त धन के वितरण सम्बन्धी पूर्ण अभिलेख अब तैयार करके अगले अंकेक्षण पर आवश्यक जांच हेतु प्रस्तुत किये जाएँ अथ अन्यथा 2100/= रु ,4975/=की राशि को दोषियों से वसूल करके तुरन्त लाईब्रेरी सिक्योरिटी निधि में जमा करवाया जाये व अनुपालना से यथासमय इस विभाग को अवगत किया जाये ।

7. रसीद सं0 215646 दिनांक 6.9.89 को रोल नं0 451 बी0 ए0-III के छात्र से लाईब्रेरी के 5/=रुपये वसूल किये गये थे लेकिन इस 5/=रुपये की राशि राशि को जमा नहीं किया गया था जिसे अब जमा करवाया जाए ।

15. मैगजीन निधि :-

वा0 सं0 1/10 दिनांक 31.10.91 मु0 15101.00
वा0 सं0 1/8 दिनांक 1.8.92 मु0 20990.00
वा0 सं0 1/4 दिनांक 28.4.93 मु0 8000.00

क) मैसर्ज मुक्ता मुद्रिक, अम्बाला कैन्ट, हरियाणा को महाविद्यालय के लिए 1400 तथा 1500 कालिज मैगजीनों की प्रतियाँ मुद्रित करवाने हेतु मु0 15101/= 20990/= तथा 8000/=रुपये की राशि अदा की गई थी वर्ष 90-91 के लिए अदा की गई 14008 मैगजीनों के मुद्रण का व्यय मु0 14000/=रुपये की राशि तथा 15101/=रुपये की राशि अदा की गई थी जिसमें से 14000/=रुपये की राशि

लगातार पृष्ठ 44 पर.........

के व्यय का व्योरा इसी अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा ग्राफ 9ख3ख1ख में दिया गया है क्योंकि उक्त वर्ष की मु0 13425/=रुपये की राशि जो कि मैगजीन निधि की थी उसे मिश्रित निधि में जमा कराया गया था तथा शेष 15101/=रुपये की राशि मैगजीन निधि से ही अदा की गई थी उक्त व्यय पर निम्नलिखित आपत्तियां पाई गई

1. 1400 मैगजीनों की छपाई गई कापियां वर्ष 1990-91 के लिए थी जबकि मु0 15100/=रुपये की राशि वर्ष 1991-92 के लिए थी इस प्रकार 15101/=रुपये की राशि के व्यय बारे अभिलेख सहित औचित्य स्पष्ट किया जाए

2. मु0 20990/= तथा 15101/=रुपये की राशि की धन की प्राप्ती रसीदें लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई जिन्हें अब प्राप्त करके अगले अंकेक्षण पर दिखाया जाए ।

3. छपवाई गई मैगजीनों का भण्डारण अन्दराज लेखा परीक्षा में नहीं दिखाया गया जिसका अब इन्द्राज किया जाए व अनुपालना आगामी अंकेक्षण पर दिखाई जाए ।

4. उक्त मुद्रण को नियन्त्रक, मुद्रण विभाग शिमला से ना करवाने तथा उनसे NOC न लेने की स्थिति भी स्पष्ट की जाये इसके अतिरिक्त उपरोक्त मैगजीनों को प्रदेश के अन्तर्गत स्थित फर्मों अथवा स्थानीय मार्किट से मुद्रित ना करवा करके प्रदेश से बाहर मुद्रण करवाने का भी औचित्य स्पष्ट किया जाए

5. अब दरें औपचारिकता हेतु दस्ती व एक ही तिथि को ली गई दिखाई गई थी ।

6. फर्म के बिलों का दो भागों में Bifarcate किया जाए कि बिलों को Bifarcate किन कारणों के लिए किया गया था

किया गया था देख और औचित्य स्पष्ट

उपरोक्त समस्त त्रुटियों को अब दूर किया जाए व की गई कार्यवाही से अगले अंकेक्षण पर सूचित किया जाए ।

ख दिनांक 1.7.93 को छात्रों से मैगजीन निधि की मु0 264/=रुपये की राशि वसूल की गई थी तथा उक्त राशि को मैगजीन निधि की कैश बुक में जमा किया गया दिखाया था लेकिन मैगजीन निधि की पास बुक में जमा नहीं कराई गई थी अपितु मु0 264/=रुपये की राशि सान्ध्यकालीन की लाईब्रेरी सिक्योरिटी की पास बुक में जमा किया गया था जो कि आपत्ति जनक था । उक्त राशि लाईब्रेरी सिक्योरिटी ख्सान्ध्यकालीन ख से निकाल कर तुरन्त

लगातार पृष्ठ 45 पर.........

प्रातःकालीन की मैगजीन निधि के खाते में जमा करवाया जाए व अगले अंकेक्षण पर जमा की पुष्टि करवाई जाए ।

ग॰ **ब्याज का कैश बुक में लेखावद्ध न करने बारे :-**

बैंक में जमा धन राशियों पर बैंक ने जो ब्याज की धन राशियां प्रदान की गई थी उनको कैश बुक में आय की तरफ नहीं दिखाया गया जो कि गम्भीर आपत्ति है नीचे दिखाई गई राशियों को अब कैश बुक में आय की तरफ लिया जाए आगामी अंकेक्षण पर इसकी आवश्यक जांच करवाई जाए ।

दिनांक	ब्याज की राशि
7.12.91	113.00
9.3.92	14.00
10.9.92	108.00
10.9.93	423.00

उपरोक्त के अतिरिक्त वर्ष 1994 का ब्याज अभी तक प्राप्त नहीं किया गया था जिसे अब बैंक से प्राप्त करके कैश बुक में भी आय की तरफ लिया जाए

(घ) दिनांक 3.9.91 से मैगजीन निधि की प्राप्त पूर्ण आय को मैगजीन निधि की पास बुक में जमा करवा दिया गया था लेकिन आय को कैश बुक में नहीं दिखाया गया था अपितु मैगजीन की 9/91 की समस्त आय को परीक्षा निधि की कैश बुक के पृ0 03 पर मास 9/91 को लिया गया था जिसे परीक्षा निधि से हटा कर तुरन्त मैगजीन निधि की कैश बुक में लिया जाए । इसी प्रकार मास 3/92 की मैगजीन निधि की प्राप्त 15/=रुपये की राशि को कैश बुक में जमा कराया गया था लेकिन उक्त मु0 15/=रुपये की राशि को पास बुक में जमा नहीं करवाया गया था जिसे अब जमा करवाया जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत किया जाये ।

ङ॰ मास 11/91 की मैगजीन की 90/=रुपये की राशि को कैश बुक में आय की तरफ 90/=रुपये ही दिखाई गई थी लेकिन पास बुक में केवल 87/=रुपये की राशि कम जमा कराई गई जिसे अब दोषी व्यक्ति से वसूल करके सम्बन्धित निधि में जमा किया जाये ।

16. **विज्ञान निधि :-**

वा0 सं0 1/11 दिनांक 9.11.92 मु0 426.00

" 1/11 दि0 2.11.92 मु0 593.00

1. मैसर्ज प्रभु मल एण्ड सन्ज रजेश कुमार डांग नाहन से 20 लीटर डी-

लगातार पृष्ठ 46........

लिपरिट के 420/=रुपये तथा मैसर्ज भारत मैडीकल एण्ड सर्जीकल चण्डीगढ़ से एक वी.पी. (instrument) एक स्टैथोस्कोप, एक थर्मामीटर तथा एक टंग प्रैशर (Tongue pressure) के क्रय करने के मु0 593/=रुपये की राशि विज्ञान निधि से अदा की गई थी लेकिन क्रय किये गये सामान का स्टाक अन्दराज व आगामी डिस्पोजल लेखा परीक्षा में नहीं दिखाया गया जिसे अब स्टाक रजिस्टर में लिया जाए व अनुपालना अगले अंकेक्षण पर दिखाई जाए।

2. ब्याज का कैश बुक में आय की तरफ ना दिखाने बारे:-

निम्नलिखित विवरणानुसार विभिन्न तिथियों को बैंक द्वारा विज्ञान निधि की जमा धनराशियों पर ब्याज लगाया गया, जिसे कैश बुक में आय की तरफ नहीं लिया गया जिसे अब लिया जाए व अनुपालना अगले अंकेक्षण पर दिखाई जाये।

दिनांक	ब्याज की राशि
7.12.91	624.00
9.3.92	241.00
10.9.92	569.00
10.9.93	1830.00

17. विश्व विद्यालय परीक्षा निधि की कैश बुक का लेखा परीक्षा में प्रस्तुत ना करने के सम्बन्ध में।

अवधि 4/87 से 3/94 तक की विश्वविद्यालय परीक्षा निधि की कैश बुक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई व विश्वविद्यालय से इस निधि के लिए जो भी धन राशियां प्राप्त की जाती थी उन सारी की सारी धन राशियों को मिश्रित निधि की बचत खाता सं0 सी-1-125/32 भारतीय स्टेट बैंक, नाहन के अन्तर्गत जमा करवाया जाता रहा था जो कि अनुचित था तथा उक्त निधि अलग से कैश बुक का तैयार ना करने की अनुपस्थिति में यह जाँच नहीं की जा सकी कि इस निधि में कितनी धन राशि शेष थी उक्त निधि का दिनांक 12.6.90 से अलग बैंक खाता खोला गया था लेकिन कैश बुक नहीं लगाई गई जो कि गम्भीर अनियमितता है। अवधि 4/87 से 3/94 तक की कैश बुक अब तैयार की जाए व निधि के समस्त आदान प्रदान की लेखा बन्दी करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण पर दिखाई जाए।

लगातार पृष्ठ 47 पर............

18. होस्टल निधि -

क) दिनांक 20.4.89 को रसीद सं0 217480-486 तक आय रजिस्टर के पृष्ठ सं0 50 के अनुसार होस्टल निधि की मु0 660/=रुपये की राशि छात्रों से वसूली गई थी लेकिन इस राशि को होस्टल निधि में जमा नहीं कराया गया जिसे दोषी व्यक्ति से वसूल करके अब निधि में जमा करवाया जाए व अनुपालना से यथा समय इस विभाग को अवगत किया जाए ।

ख) दिनांक 3.4.92 को रसीद सं0 41505-633 के द्वारा मु0 6886/=रुपये की राशि छात्रों से होस्टल निधि की वसूल की गई थी लेकिन उक्त राशि में से मु0 6678/=रुपये की राशि ही होस्टल निधि में जमा कराई गई थी शेष 208/= रुपये की राशि स्वीपर के पार्ट टाईम वेतन के तथा बिजली के बिलों के लिए सीधे तौर पर ही इस निधि से व्यय की गई थी जो कि इस निधि पर उचित प्रभार नहीं था उक्त राशि को दोषी व्यक्ति से वसूल करके तुरन्त निधि में जमा करवाया जाए व अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र अवगत किया जाए ।

ग) दिनांक 29.4.89 को कैश बुक के पृ0 17 का अन्त शेष मु0 48.40 रुपये की राशि थी लेकिन अगले पृ0 पर प्रारम्भिक शेष शून्य दिखाया गया था इसी प्रकार दिनांक 30.4.92 को कैश बुक पृ0 25 का अन्त शेष शून्य लिया गया इस प्रकार 48/40 तथा 75/=रुपये की राशि की कम गणना की गई जिसका अब समायोजन किया जाए अन्यथा उक्त राशि को दोषी व्यक्ति से वसूल करके निधि में जमा करवाया जाए ।

घ) वा0 सं0 4/11 दिनांक 17.11.92 मु0 250/=रुपये

मै0 हार्डवेयर एण्ड जनरल स्टोर, नाहन को विभिन्न प्रकार के सामान के क्रय करने के मु0 240/=रुपये की राशि भुगतान की गई थी जबकि कैश बुक पृ0 33 पर दिनांक 17.11.92 को व्यय की राशि मु0 250/=रुपये दिखाई गई थी इस प्रकार 10/=रुपये की राशि कैश बुक में अधिक व्यय की गई दिखाई थी जिसे दोषी व्यक्ति से वसूल करके निधि में जमा करवाया जाए ।

ङ) वा0 सं0 3/8 दिनांक 22.8.92 मु0 7674/=रुपये

मै0 निधी ब्रदर्ज नाहन को 12 लोहे के स्लीपिंग चारपाई साईज 6x2½ के क्रय करने के होस्टल निधि से अदा किये गये थे जो निधि पर उचित प्रभार नहीं था इसके अतिरिक्त क्रय की गई चारपाईयों का स्टाक अन्दराज व आगामी डिस्पोजल लेखा परीक्षा में नहीं दिखाया गया जिसे अगले अंकेक्षण पर

जारी पृष्ठ 48 पर.......

321

दिखाया जाये तथा होस्टल निधि से उक्त खर्च की गई राशि को प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित कराया जाये अन्यथा उक्त राशि को दोषी व्यक्ति से वसूल करके निधि में जमा किया जाए ।

च) वा० सं० 15/8 दिनांक 25.8.93 मु० 1000.00

" 9/9 दिनांक 18.9.93 मु० 2000.00

श्री शिव राज सिंह, सहायक को मु० 3000/=रुपये की राशि बतौर अग्रिम धन के तौर पर होस्टल की मुरम्मत करवाने हेतु अदा की गई थी लेकिन उक्त कर्मचारी द्वारा न तो कोई मुरम्मत करवाई दिखाई गई और न ही उक्त धन राशि का समायोजन व्यय हेतु प्रस्तुत किये गए । ऐसा प्रतीत होता है कि मु० 3000/=रुपये की उक्त राशि का दुर्विनियोजन किया गया है , जिसे अब दोषी व्यक्ति से व्याज सहित वसूल करके तुरन्त होस्टल निधि में जमा कराया जाए व अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र अवगत कराया जाए

छ) होस्टल निधि से पारिश्रमिक के अदा करने बारे

निम्नलिखित विवरणानुसार मु० 275/=रुपये की राशि होस्टल निधि से पारिश्रमिक के रूप में अदा किये गये थे जो कि होस्टल निधि पर उचित प्रभार नहीं था इस व्यय को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित कराया जाए अन्यथा दोषी व्यक्तियों से वसूल करके सम्बन्धित निधि में जमा किया जाए व अनुपालना से यथासमय इस विभाग को अवगत किया जाए।

वा० सं० व दिनांक	व्यक्ति का नाम	राशि	विवरण
265 दिनांक 12.9.83	श्री एस.एल.शर्मा	100.00	होस्टल का अवधि 4/83 से 7/83 तक का कार्य करने हेतु ।
281 दि० 12.9.83	श्री वेद प्रकाश डोगरा	25.00	यथोपरि मास 8/83
शून्य दि० 2.3.84	श्री शिव राज सिंह	150.00	यथोपरि 9/83 से 2/84
	मु० =	275.00	

ज) वा० सं० 3/5 दिनांक 2.5.86 मु० 299/80 रुपये

मै० सुपरीम एण्टर प्राईजिज, नाहन से विभिन्न प्रकार के सामान के क्रय करने हेतु मु० 299/80 रुपये की राशि होस्टल निधि से व्यय की गई थी लेकिन क्रय किये गये सामान का स्टाक अन्दराज व आगामी खतौनी

लगातार पृष्ठ 49.........

-322-

ब्योरा लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिन्हें अगले अंकेक्षण पर समस्त अभिलेख सहित प्रस्तुत किया जाए अन्यथा उक्त राशि को दोषी व्यक्ति से वसूल करके निधि में जमा कराया जाए ।

क्र.सं0 वस्तुओं का नाम	सं0 /मात्रा	दर	राशि
1.एनेमेटिक पेन्ट	4 लीटर	62.00	248.00
2.पेन्ट ब्रुश	2	17.50	35.00
3.तारपिन तेल	250 ग्राम	---	04.00

क्रय की गई वस्तुओं का मु0 = 289.00

+ सेल टैक्स + 10.80

299.80

इ) वा0 सं0 315 दिनांक 1.12.83 मु0 235.00

" 13/3 दिनांक 25.3.86 मु0 79.30

मै0 टी0 डी0 जोशी, नाहन को विभिन्न प्रकार के समाचार पत्रों के क्रय करने के मु0 314.30रुपये की राशि होस्टल निधि से अदा की गई थी लेकिन समाचार पत्रों का उपस्थिति रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसकी अनुपस्थिति में समाचार पत्रों की पुष्टि नहीं की जा सकी जिसे अब तैयार करके अगले अंकेक्षण पर दिखाया जाये इसके अतिरिक्त समाचार पत्रों का होस्टल निधि से क्रय करने का औचित्य भी स्पष्ट किया जाए अन्यथा उक्त राशि को उचित स्त्रोतों से वसूल करके होस्टल निधि में जमा कराया जाए

ई) वा0 सं0 330 दिनांक 17.1.84 मु0 2422.70

अधीक्षक मोडरन सैन्टरल जेल नाहन से निम्न प्रकार की वस्तुओं के क्रय करने के होस्टल निधि से मु0 2422.70रुपये की राशि अदा की गई थी ।

क्र0सं0	वस्तुओं का नाम	मात्रा	दर	राशि
1.	मेज	4	125/15	500.60
2.	कुर्सियां	4	72/80	290.40
3.	चार पाईयां	7	89/15	624.05
4.	चार पाईयां	13	69/65	905.45

= 2320.50

सेल टैक्स आदि 102.15

कुल योग =2422.65 लगातार पृष्ठ 50 पर

- 323 -

उक्त व्यय पर निम्नलिखित आपत्तियां पाई गई :-

1. उक्त सामान दिनांक 23.3.83 को क्रय किया गया था लेकिन भण्डारण में इसे 19.10.1983 को लिया गया था ।

2. ~~XXXXXX~~ भुगतान प्रधानाचार्य द्वारा पारित नहीं किया गया था ।

3. उक्त बारे का सारा सामान दिनांक 24.8.89 को वट्टे खाते में (write off) कर दिया गया था लेकिन इस बारे सक्षम अधिकारी के आदेश व अन्य सम्बन्धित दस्तावेज लेखा परीक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गये उक्त सामान को 6 वर्ष तथा एक मास की अवधि के अन्तर्गत ही वट्टे खाते में डालने का औचित्य स्पष्ट किया जाए इसके अतिरिक्त उपरोक्त सामान जो कि निलाम भी किया गया दिखाया गया था उस से प्राप्त आय की राशि की जमा की पुष्टि भी नहीं कराई गई जिसे अगले अंकेक्षण पर दिखाया जाए उक्त सामान किस कर्मचारी /अधिकारी की वजह से बेकार हो गया था उसकी जिम्मेवारी निर्धारित की जाए व क्षति की राशि दोषी से वसूली जाए ।

व) <u>ब्याज का कैश बुक में ना लगाने बारे:-</u>

होस्टल निधि की धन राशि डाकघर नाहन के बचत खाता संख्या 741211 के अन्तर्गत रखी गई थी दिनांक 6/92 से उक्त खाता बन्द कर दिया गया तथा दिनांक 7/92 से हि० प्र० को० ओ० बैंक.नाहन में 7356 के अन्तर्गत जमा की जानी आरम्भ की गई थी लेकिन डाकघर के खाता संख्या 741211 के अ अन्तर्गत अभी भी रु० 833-74 रुपये की राशि पड़ी थी जिसे उक्त खाते से निकाल कर तुरन्त खाता सं० 7356में जमा कराया जाये ताकि निधि की धन राशि एक ही खाते में रह जाए । इसके अतिरिक्त उक्त खातों पर निम्न विवरणानुसार जो समय-2 पर ब्याज प्राप्त किया गया, को होस्टल निधि की कैश बुक में आय की तरफ नहीं लिया गया जिसे अब लिया जाए व अनुपालना अगले अंकेक्षण पर दिखाई जाए ।

दिनांक	ब्याज की राशि	वर्ष	डाकघर से प्राप्त व्यय
4.8.88	22.70	87-88	डाकघर से
14.9.83	142.50	82-83	"
20.11.85	23.65	84-85	"
8.5.86	115.55	83-84	"
3.5.89	73.60	88- 89	"
8.5.86	209.85	85-86	"
29.8.90	179.30	89-90	"
13.2.91	304.00	90-91	"

लगातार पृष्ठ 51 पर...........

-324-

23.5.92	681.45	91-92	डाकघर से
10.9.92	195.00	91-92	बैंक से प्राप्त ब्याज
6.3.93	405.00	92-93	"
10.9.93	356.00	93-94	"

भविष्य में ब्याज से प्राप्त राशि को कैश बुक में आय की तरफ दिखाया जाना सुनिश्चित किया जाए व उक्त चूक से निश्चित तौर पर परिहार करें ।

जा दिनांक 16.3.1985 को छात्रों से होस्टल निधि की मुद 345/=रुपये की राशि वसूल की गई थी जिसे होस्टल निधि की कैश बुक में दिनांक 19.8.85 को जमा कराया गया इस प्रकार उक्त 345/=रुपये की राशि का लगभग 5 ~~दिवस~~ मास से अधिक अवधि तक अस्थाई दुर्विनियोजन किया गया जिससे निधि को ब्याज की भी क्षति हुई है इस क्षति की पूर्ति दोषी व्यक्ति से करके निधि में जमा कराया जाए व भविष्य में आय की राशि को समय पर जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

19. **उपस्थिति रजिस्टर का प्रस्तुत ना करना:-**

अवधि 4/87 से 3/94 के छात्र उपस्थिति रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जिनकी अनुपस्थिति में दण्ड निधि की जांच नहीं की जा सकी ।अपेक्षित अभिलेख अगले अंकेक्षण पर आवश्यक जांच हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए ।

20 **अग्रिम धन राशियों का समायोजन ना करने बारे :-**

निम्नलिखित विवरणानुसार विभिन्न व्यक्तियों के नामों के आगे दर्शाई गई धन राशियों विभिन्न कार्यों हेतु अग्रिम के रूप में अदा की गई थी लेकिन सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा अभी तक उनके समायोजन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं किये गये थे जो कि एक गम्भीर अनियमितता है । इनके समायोजन करने हेतु आवश्यक पग उठाए जाएं अन्यथा दोषियों से तुरन्त धन की वसूली करके निधियों में जमा कराया जाए व अनुपालना से यथासमय इस विभाग को अवगत कराया जाए ।

क्रम सं0	वा सं0 व दिनांक	अग्रिम धन राशि	कर्मचारी का नाम
1.	13/8 दिनांक 31.8.88	100.00	कुमारी निर्मल गुप्ता
2.	13/10 दि0 22.10.88	4000.00	श्री अनिल रतन वर्मा
3.	53/5 दि0 31.5.89	3500.00	" धतर सिंह
4.	6/3 दि0 3.3.90	100.00	मिस निर्मल गुप्ता

लगातार पृष्ठ 52 पर........

22.12.90 210537-505 322.00 504.00 10.00 2517/खुलानाथ

-325-

5.	2/6 दि0 20.6.90	800.00	श्री जय गोपाल शर्मा
6.	6/6 दि0 18.6.91	2500.00	श्री एम0एम0चन्दना
7.	21/10 दि0 28.10.91	2060.00	" पी0 एन0 शर्मा
8.	8/9 दि0 21.9.92	1400.00	श्री मति जय चौहान
9.	5/4 दि0 6.4.92	2000.00	श्री पी0 एन0 शर्मा
10.	11/9 दि0 29.9.92	420.00	श्री मति जय चौहान
11.	24/11 दि0 27.11.92	300.00	--यथोपरि--
12.	2/12 दि0 6.12.92	1995.00	--यथोपरि--
13.	9/12 दि0 15.12.92	1750.00 710.00 343.00	- श्री ओ0 एन. सेठी
14.	6/2 दि0 4.2.93	212.00	श्री मति जय चौहान
15.	9/3 दि0 23.3.93	100.00	श्री इकबाल सिंह
16.	6/4 दि0 13.4.93	200.00	" जय गोपाल शर्मा
17.	4/9 दिनांक 16.9.93	200.00	" ओ0 एन0 सेठी
18.	9/9 दि0 22.9.93	965.00 2280.00 400.00	श्री ओ0 एन0सेठी
19.	6/10 दि0 8.10.93	8000.00	श्री पी0 एन0 शर्मा
20.	8/10 दि0 15.10.93	1350.00 2600.00 3000.00	श्री ओ0 एन0 शर्मा
21.	1/11 दि0 1.11.93	5500.00	श्री पी0एन0 शर्मा
22.	2/11 दि0 1.11.93	250.00 112.00 250.00 290.00 1562.00 1950.00	श्री ओ0 एन0 सेठी
23.	8/11 दि08.11.93	168.00	--यथोपरि--
24.	14/11 दि0 17.11.93	3800.00 6721.00 220.00 450.00	--यथोपरि--
25.	6/12 दि0 9.12.93	3500.00	श्री पी0एन0शर्मा
26.	15/11 दि0 30.11.93	2900.00	श्री मति जय चौहान
27.	6/3 दि0 15.3.94	3500.00	श्री एम.एम. चन्दना
28.	7/3 दि0 21.3.94	8300.00	श्री--यथोपरि--
29.	8/3 दि0 30.3.94	1000.00	--यथोपरि--

लगातार पृष्ठ 53 पर

[illegible]

21. अधि हस्तगत राशि :- निम्नलिखित विवरणानुसार विभिन्न छात्र निधियों की धन राशियों को प्रभारी द्वारा अनावश्यक रूप से हस्तगत रखा गया था जो कि एक प्रकार से अस्थाई दुर्विनियोजन है। धन को हस्तगत रखने के नियमों में कोई प्रावधान नहीं है धन को हस्तगत रखने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता से निश्चित तौर पर परिहार करें।

मास	निधि का नाम	राशि जो हस्तगत रखी गई थी
7/91	भवन निधि	3600.00
7/92	"	1044.00
9/92	"	432.00
6/93	"	1332.00
7/93	"	1152.00
8/93	"	180.00
2/94	"	5112.00
7/91	विज्ञान निधि	10000.00
9/92	"	720.00
6/93	"	1182.00
7/93	"	864.00
2/94	"	624.00
9/91	लाइब्रेरी सिक्योरिटी	50.00
7/92	"	100.00
9/92	"	250.00
6/93	"	1450.00
7/93	"	600.00
8/93	"	100.00
7/91	हाउस परीक्षा	1536.00
7/92	"	174.00
6/93	"	264.00
7/93	"	220.00
7/91	कालेज मैगजीन	3000.00
7/92	"	435.00
6/93	"	555.00
7/93	"	480.00
9/91	स्वास्थ्य निधि	1024.00
7/92	"	145.00
6/93	"	180.00
7/93	"	162.00
12/87	मिश्रित निधि	8 345.00
3/88	"	799.70
4/88	"	799.70
5/88	"	799.70

लगातार पृष्ठ 54 पर........

-327-

	मिश्रित निधि	20304.50
6/88	"	432.50
7/88	"	408.25
8/88	"	2647.00
11/88	"	2351.00
12/88	"	2862.05
3/89	"	2273.20
9/89	"	6712.00
10/89	"	3820.00
7/90	"	647.00
8/90	"	522.50
11/90		
12/90		
§31-12-90 से 2-1-91	"	55190.00
2/91	"	5325.00
7/91	"	22599.00
9/91	"	3263.50
1/92	"	10120.00
7/92	"	3807.50
9/92	"	2153.00
6/93	"	5641.00
7/93	"	8982.00
8/93	"	817.50
2/94	"	12780.00
3/94	मिश्रित निधि	17035.00

ख§ रसीद बुकों का स्टाक रजिस्टर अवधि 4/87 से 3/94 तक का लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसे अगले अंकेक्षण पर आवश्यक जांच हेतु प्रस्तुत किया जाए ।

ग§ <u>स्थायी स्टाक रजिस्टर:</u>= विभिन्न निधियों तथा सरकारी कौनटीजैन्सी का स्थायी सामान के क्रय का एक ही स्टाक रजिस्टर संयुक्त रूप से लगाया गया था जो कि अनुचित था जबकि नियमानुसार निधियों तथा कौन्टीजैन्सी का स्टाक रजिस्टर अलग-2 होना चाहिए जिसे अब अलग-2 किया जाए व अनुपालना अगले अंकेक्षण पर दिखाई जाए ।

2.§ सिमेन्ट स्टाक रजिस्टर पृ0 28 के अनुसार विभिन्न फर्मों से विभिन्न तिथियों को 27 सिमेन्ट की बोरियों क्रय की गई थी तथा स्टाक अन्दराज में सिमेन्ट की बोरियों की शेष मात्रा शून्य दिखाई गई थी जबकि संपरीक्षण के समय 2 बैग शेष बचते थे, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

लगातार पृष्ठ 55 पर........

257/खजाना नाथ

-328-

बिल नं0 तथा दिनांक	फर्म का नाम	मात्रा	राशि
582 दि0 27.10.88	सिरमौर बिल्डिंग, नाहन	1	66.50
375 दि0 14.7.90	वी.डी.गोपाल, नाहन	1	78.00
1440 दि0 11.10.93	--यथोपरि--	6	648.00
	"	2	220.00
1447 दि0 11.10.93	"	3	330.00
384 दि0 19.11.93	~~यथोपरि~~ अग्रवाल हार्डवेयर नाहन	3	324.00
1447 दि0 11.10.93	वी.डी.गोपाल नाहन	5	550.00
396 दि0 24.11.93	अग्रवाल हार्डवेयर नाहन	2	216.00
399 दि0 26.11.93	--यथोपरि--	2	216.00
1468 दि0 4.12.93	वी.डी.गोपाल नाहन	2	218.00
कुल =		27 बैग सिमेन्ट	

उक्त 2 बची सिमेन्ट की बोरियों को आगामी अब दिखाई जाए अन्यथा दोषी व्यक्तियों से वसूल करके स्टाक में जमा कराया जाए ।

घ) निलामी से सम्बन्धित अभिलेख का लेखा परीक्षा में प्रस्तुत ना करने बारे

अवधि 4/87 से 3/94 के अवधि में समाचार पत्रों तथा मैगजीनो की रद्दी निलामी की गई दिखाई गई थी लेकिन निलामी से सम्बन्धित दस्तावेज लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये , जिन्हें अगले अंकेक्षण पर आवश्यक जांच हेतु प्रस्तुत किया जाए ।

भाग -III

22\. अनुदान:- अवधि 4/87 से 3/94 तक राजकीय महाविद्यालय नाहन द्वारा विभिन्न प्रकार की धन राशियां अनुदान के रूप में विश्वविद्यालय ग्रांट कमीशन तथा हिमाचल प्रदेश सरकार से प्राप्त की गई थी जिनका विवरण विस्तार से इस लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के परिशिष्ट "ख" में दिया गया है । अनुदान के रूप में प्राप्त की गई धन राशियों का लेखा परीक्षा ,हिमाचल प्रदेश वित्त संहिता के अध्याय-III के अनुसार परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा विभाग द्वारा किया जाना था जबकि उक्त अनुदान की धन राशियों का लेखा परीक्षा संस्था द्वारा प्राइवेट लेखा पाल से करवाया गया तथा अंकेक्षण शुल्क के रूप में रु0 5000/=रुपये (पांच हजार रुपये केवल) की राशि अनुदान की जमा धन राशियां से प्राप्त ब्याज के धन से किया गया । इस प्रकार संस्था द्वारा वित्त संहिता के अध्याय-III के नियमों की अवहेलना की गई । इस बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए । अगर अनुदान की धन राशियों का लेखा परीक्षा परीक्षक स्थानीय निधि विभाग से उक्त आदेशों के अन्तर्गत करवाया जाता तो उसके अंकेक्षण हेतु अधिक

लगातार पृष्ठ 56 पर.....

329

से अधिक मु0 200/=रुपये की राशि अंकेक्षण शुल्क के रूप में चार्ज की जानी थी जो कि शिक्षा संहिता के अध्याय -III के अनुसार मिश्रित निधि से दी जानी थी तथा इस प्रकार मु0 4800/=रुपये की राशि को बचाया जा सकता था। अधिकार प्राप्त लेखा पाल को अंकेक्षण शुल्क के रूप में अदा की गई राशि इस विभाग की तुलना से कहीं ज्यादा अधिक थी । इस प्रकार अधिक अदा की गई राशि का ठोस तथ्यों सहित औचित्य स्पष्ट किया जाए ।

हस्ता/
संयुक्त निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश,शिमला-171002.

पृष्ठांकन संख्या: फिन (एल0ए0)सी (15)(1)(10)-6/83 खण्ड:3,दिनांक,शिमला-2.
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:- 5 JUN 1996

1) प्राचार्य ,राजकीय प्रातःकालीन महाविद्यालय नाहन तहसील नाहन जिला सिरमौर (हिमाचल प्रदेश) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रति प्रतिवेदन पर की गई कार्रवाई का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को अतिशीघ्र भेजें ।

2) निदेशक, शिक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171001.

3) सचिव(शिक्षा) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2.

4) श्री अमर सिंह चौधरी, अनुभाग अधिकारी (लेखापरीक्षा),द्वारा........

संयुक्त निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश शिमला-171002.

-:-:-:-:-

330-

परिशिष्ट (1)

अन्तिम आपत्ति पैरा 9(क) से सम्बन्धित

दिनांक	रसीद सं०	वसूली की राशि	जमा की गई राशि	कम जमा की गई राशि	लेजर पृ०	निधि का नाम
18.1.87	212941	195.00	194.00	1.00	317	मिश्रितनिधि
•	212042	195.00	194.00	1.00	•	•
24.6.87	212075, 212125.	13228.00	13227.00	1.00	320	•
25.6.87	212126-150	7766.00	7638.00	128.00	321	•
27.6.87	214987-695	24663.00	23686.00	977.00	430.00	•
•	214753-898	20341.50	26798.00	1543.50	423	•
10.10.86	215052-900	6200.00	6009.50	200.00	467/48	•
10.9.88	215801-830	2245.50	48.00	2197.50	464	•
13.10.89	216019-034	1281.00	1273.00	08.00	472	•
7.12.88	216645-674	1540.00	1240.00	300.00	14	•
5.7.89	215575-607	5494.50	4994.50	500.00	62	•
5.7.89	217707-36	5426.50	5026.50	400.00	67	•
10.7.89	218046-72	5583.00	5623.00	60.00	80	•
24.7.89	218127-156	4603.50	4503.50	100.00	86.	•
12.10.87	212876-947	3618.00	3518.00	100.00	351	•
12.11.87	213101-198	4906.00	4895.00	10.00	360	•
•	213199-217	1229.00	1183.00	45.00	•	•
30.6.88	215208-40	6106.00	5981.00	125.00	436	•
6.7.88	215388-413	5251.00	5151.00	100.00	443	•
15.7.88	215476-95	3220.50	3160.50	60.00	448	•
7.9.88	215701-21	1170.00	1150.00	20.00	460.	•
15.11.88	216544-74	2009.75	2599.75	210.00	05.88	•
9.11.89	218504-49	4590.00	3590.00	1000.00	118	•
18.11.89	213812-31	2600.00	1600.00	1000.00	122	•
22.12.90	210557-605	2610.00	2520.00	90.00	257	मिश्रित निधि
21.12.87	213661-87	1114.50	1142.00	2.50	375	जुर्माना निधि
23.2.88	213842-46	73.35	66.00	7.25	383	•
26.2.88	213884-94	218.85	208.85	10.00	385	•
19.8.89	212770-802	36.00	24.00	12.00	341	दाखीला शुल्क
3.11.88	216393-424	16.00	---	18.00	490	देरी दाखीला शुल्क
22.12.90	210557-605	1872.00	1800.00	72.00	257	ट्यूशनफीस
12.10.87	212909-942	1740.00	1680.00	60.00	-	•
3.11.88	216393-424	1692.00	1420.00	272.00	490	•
7.11.89	217597-703	252.00	242.00	10.00	116	ट्यूशनफीस
22.12.90	210557-605	322.00	504.00	10.00	257/ट्यूशननिधि	•
26.10.89	218439-479	300.00	---	360.00	•	विश्वविद्यालय/परीक्षा फीस
•		2030.00	1950.00	72.00		

शेष पृष्ठ 2 पर.....

4.7.89	217534-565	5928.50	5808.50	120.00	60.82 विज्ञान निधि
27.6.88	215017-050	3060.00	2940.00	120.00	428 "
25.6.88	214899-932	1560.00	1060.00	500.00	424 "
2.7.88	215288-314	1800.00	1600.00	200.00	439 विज्ञान निधि

कुल योग = 11029.75

हस्ता/=

(अमर सिंह चौधरी),
अनुभाग अधिकारी।

332

GOVT.POST GRADUATE COLLEGE,NAHAN

Statement of Grants received from the University Grants Commission, New Delhi for the period from 4/87 to 3/94

UGC/DHE sanctioning letter No. & Date	Amount received by the College	Amount received from UGC	Grants contribution by other agencies (Viz State Govt./ College share/on the case of matching grant	Total amount spent	Purpose
2	3	4	5	6	7
F.13.3C(9)/88(C-II) dated 24.2.88	Rs. 25,000/-	25,000/-	-	Rs. 25,000/-	Special assistance to Library.
F.2-3(17)/87(C-II) dated 17-2-88	Rs. 20,000/-	20,000/-	-	Rs. 20,000/-	Books/Journal and equipment Devl/ Assistance.
F.1-3/ 18/86(c-II) dated 5.7.88	Rs. 50,000/-	50,000/-	-	Rs. 50,000/-	Basic Assistance books/ journal & equipments
F.2.3.(17)/87(C) dated 29.5.90	Rs. 25,000/-	5,000/-	-	Rs. 25,000/-	Constructions of staff quarter
DHE Shimla letter EDN-H (9)4-42/7/Edu(bldg) dated 26.3.89	-	-	Rs. 60,000/-	Rs. 60,000/-	Do
Do	-	-	Rs. 23,610/-	Rs. 23,610/-	Do
F-2-3-(I)97/-(C-2) dated 12-2-91	Rs. 50,000/-	50,000/-	-	Rs. 50,000/-	Do
F-10-16/91(T-II) dated 12.3.91	Rs. 1,25,000/-	1,25,000/-	-	Rs. 1,25,000/-	Purchase of computer
2-3-(10)/91(CD-3) dated 10.7.92	Rs. 96,000/-	96,000/-	-	Rs. 96,000/-	UG Dev assistance College for books and equipment.

PRINCIPAL
GOVT. P.G.COLLEGE,NAHAN

Forwarded to the S.O.(Audit)
c/o Govt. P.G.College Nahan

स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश
डायरी न. 2447
.... 2002

333

संख्या: फिन (एल ए) सी (15) 21 (4)-6/83 2002- III
हिमाचल प्रदेश सरकार,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग।

प्रेषक :

परीक्षक,
स्थानीय निधि लेखा,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171002.

प्रेषित:

प्रधानाचार्य
राजकीय उच्च विद्यालय ....
जिला सिरमौर (हि० प्र०)

दिनांक, शिमला-171002, ... 1998

विषय : स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश की वार्षिक रिपोर्ट अवधि 1982-84, 87-88 में सम्मिलित अनिर्णीत पैरों से सम्बन्धित।

ज्ञापन,

इस विभाग की उपरोक्त वर्णित वार्षिक रिपोर्टों में निम्नलिखित अंकेक्षण अवधि के पैरे आपकी संस्था से सम्बन्धित अभी भी अनिर्णीत हैं :-

क्र.सं.	वार्षिक रिपोर्ट अवधि	पैरा संख्या	अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि
1	1982-84	5(b), 11	4/78 से 3/83
2	1987-88	4(b), 4(c), 10(a), 10(b), 8(c), 10(e)	4/83 से 3/87

2. अतः आपसे निवेदन है कि ऊपर लिखित पैरों के निपटारे हेतु की गई कार्यवाही सटिप्पण रूप में इस विभाग को शीघ्र भेजने का कष्ट करें।

सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171002.

पृष्ठांकन संख्या: यथोपरि, दिनांक, शिमला-2
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, शिक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171001 (हि.प्र.)
2. ~~जिला शिक्षा अधिकारी~~ जिला
3. नस्ति संख्या: फिन (एल ए) एच (2)-ए (8) 18/90 खण्ड-9 को।

सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171002.